cgtmse

23वीं

# वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

सपनों को
साकार करना
विश्वास का
सृजन करना

# विषय सूची



| क्र. सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रेषण पत्र | 1 |
| 2 | अध्यक्ष का वक्तव्य | 2 |
| 3 | सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल | 3 |
| 4 | एमएसई क्षेत्र : अवलोकन और विकास | 4 |
| 5 | सीजीटीएमएसई के बारे में | 7 |
| 6 | उद्यमियों का देश, सीजीटीएमएसई राष्ट्रव्यापी समर्थन | 8 |
| 7 | मूल्य–संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रगति को सक्षम बनाना | 10 |
| 8 | परिचालन पर एक नजर | 12 |
| 9 | वर्ष 2022–23 के लिए उपलब्धियों द्वारा संचालित | 13 |
| 10 | वार्तालाप/कार्यशालाएं | 19 |
| 11 | सफलताओं से प्रेरित | 21 |
| 12 | हमारी जारी भावी यात्रा | 30 |
| 13 | समर्पित कार्यबल सीजीटीएमएसई की ताकत | 31 |
| 14 | विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग | 32 |
| 15 | वित्तीय विवरण | 33 |
| 16 | लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 34 |

# प्रेषण पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
स्वावलंबन भवन, सिडबी, प्रथम तल,
सी–11, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई–400 051

26 अक्टूबर, 2023

प्रति
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)
निर्माण भवन, सातवां तल, 'ए' विंग,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110 108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर,
15, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अवस्थापकों द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के संदर्भ में, हम निम्नलिखित दस्तावेजों को एतद्द्वारा अग्रेषित करते हैं:

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और
2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर रिपोर्ट की एक प्रति।

भवदीय
हस्ता. / –
(संदीप वर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः मुंबई

# अध्यक्ष का संदेश

## प्रिय हितधारकों,

इस वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अपने कार्य–निष्पादन की घोषणा करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। यह वर्ष हमारे देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण रहा है और मुझे अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2023 समेकन का एक वर्ष रहा क्योंकि कोविड–19 से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था अब धीरे–धीरे पटरी पर आ रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ती कीमतों आदि के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। सीजीटीएमएसई हमारे देश की उद्यमशीलता की भावना को आगे बढ़ाने में सहयोग करने एवं इसे सुगम बनाने के अपने मिशन में जुटा रहा। हम छोटे एवं सूक्ष्म व्यवसायों के लिए एक आधार स्तंभ बने रहे और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें नई ऊंचाईयों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) हमारी अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायक हैं। ये नवाचार और उद्यमशीलता के इंजन हैं और किसी भी संपन्न अर्थव्यवस्था की जीवनधारा हैं। जैसा कि हम उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं इसलिए याद रखें कि ये लघु और सूक्ष्म उद्यम हमारे भविष्य को आकार देने और हमें एक अधिक जीवंत और टिकाऊ दुनिया की ओर ले जाने की शक्ति रखते हैं। यह अनुमान है कि एमएसएमई क्षेत्र वर्ष 2028 तक रु. 1 ट्रिलियन का हो जाएगा। इस आशावाद को भारत सरकार द्वारा संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के कोष में रु. 9,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से समर्थन प्राप्त है। इससे अगले 3 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त संपार्श्विक–मुक्त गारंटीकृत ऋण प्राप्त हो सकेगा।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई ने उद्यमियों के व्यापक परिवेश तक अपनी पहुंच एवं समर्थन बढ़ाया। वित्त वर्ष 2023 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इसने अपनी स्थापना से पहली बार रु. 1,04,781 करोड़ मूल्य की 11,65,786 गारंटी को मंजूरी दी गई।

नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट रही है। हमने अपनी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान करने को सुनिश्चित करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप, हम और भी अधिक सुलभ एवं सुव्यवस्थित क्रेडिट गारंटी समाधान प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया जिससे वैश्विक मंच पर क्रेडिट गारंटी संस्थान के रूप में हमारी स्थिति और मजबूत हुई है।

आने वाले वर्षों में, सीजीटीएमएसई व्यापक समर्थन प्रदान करके एमएसई को संपार्श्विक–मुक्त ऋण देने को सबसे पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए अपने परिचालन में विश्वास बढ़ाने के उपायों को शामिल करके एमएसई क्षेत्र को बैंक के ऋण देने में परिवर्तन लाने के लिए लगातार प्रयास करना जारी रखेगा।

मैं अपनी समर्पित टीम और अपने ऋणदात्री संस्थानों को उनकी कड़ी मेहनत एवं प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मिशन के प्रति उनका अटूट समर्पण हमारी सफलता का मेरुदंड है।

मैं बोर्ड के सदस्यों, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को एमएसई क्षेत्र के लिए एक सक्षम परिवेश बनाने के सीजीटीएमएसई के प्रयासों में उनके मूल्यवान, समयबद्ध और निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। एक साथ मिलकर, हमने चुनौतियों का सामना किया है और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए सीजीटीएमएसई सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय समर्थन प्रणाली बनी हुई है।

मैं अपने भावी सहयोगियों और हितधारकों को एक उज्ज्वल भविष्य बनाने और देश के सतत विकास में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए हम आशावाद और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। चुनौतियों के साथ हमारा संकल्प भी ऊंचा है। आने वाले वर्षों में हम सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपना दोगुना प्रयास करेंगे। हम उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नए रास्तों की तलाश करेंगे और आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे।

हर कदम पर उद्यमियों का सशक्तिकरण।

श्री सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस

अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

# सीजीटीएमएसई का न्यासी बोर्ड

(1 सितम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार)

श्री सिवसुब्रमणियन रमण | आईए एंड एएस, अध्यक्ष (पदेन अधिकारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालयः 'सिडबी टॉवर', 15, अशोक मार्ग, लखनऊ– 226 001

डॉ. रजनीश | आई.ए.एस., उपाध्यक्ष (पदेन अधिकारी)

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, ''ए'' विंग, 7वां तल,

निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110108

श्री अतुल कुमार गोयल | सदस्य (पदेन)

अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

प्लॉट नं. 4, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

श्री संदीप वर्मा | सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

प्रथम तल, स्वावलम्बन भवन, सिडबी, सी–11,

जी–ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051

# एमएसई क्षेत्र : अवलोकन और विकास

## पृष्ठभूमि

पूरे विश्व में जून 27 को अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के बहुमूल्य योगदान के लिए चिन्हित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यवसायिक नवाचारों के माध्यम से उद्यमशीलता संबंधी प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत में एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, राष्ट्रीय आय और संपत्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।यह निस्संदेह भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है क्योंकि लगभग 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान करते हैं जो देश के कुल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है और ये 113 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

भारत में लगभग 630 लाख एमएसएमई कॉरपोरेट हैं जिनमें से केवल 250 लाख ने ही औपचारिक स्रोतों से ऋण लिया है। जबकि यह क्षेत्र 2.5 प्रतिशत की अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) पर आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23 तक एमएसएमई कॉर्पोरेट संस्थाओं की संख्या 750 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इनमें से लगभग 500 लाख एनटीसी एमएसएमई होने की उम्मीद है। ऋणदाता योग्य एनटीसी एमएसएमई की पहचान

> खाना जो हम खाते हैं से लेकर कार जो हम ड्राइव करते हैं – यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे जीवन के प्रत्येक
>
> उत्पाद में एमएसएमई का कुछ योगदान जरूर होता है। छोटे व्यवसायों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है –
>
> **नारायण राणे, माननीय केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री**

करके उनके साथ जुड़कर और उनकी आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट उत्पादों को अनुकूलित करके इस विशाल खंड का लाभ उठा सकते हैं।

## एमएसई क्षेत्र का अवलोकन एवं सरकारी पहलें

एमएसएमई क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रगतिशील सुधारों को लाभ मिला है जो व्यापक व्यावसायिक कार्यकलाप और सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रों में बेहतर ऋण लेने में परिलक्षित हुआ है।

मंत्रालय ने उद्योग आधार मेमोरेंडम दाखिल करने की पिछली प्रक्रिया को एमएसएमई के वर्गीकरण के समग्र मानदंडों के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है जिसे अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 द्वारा अधिसूचित किया गया है। उद्यम पंजीकरण का विश्लेषण विनिर्माण और सेवा एमएसएमई का विवरण प्रदान करता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेवा क्षेत्र में एमएसएमई (72 प्रतिशत) में विनिर्माण क्षेत्र (28 प्रतिशत) की तुलना में उद्यम पंजीकरण का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इसके अलावा, कुल उद्यम पंजीकरण में सूक्ष्म एमएसएमई (96 प्रतिशत) उद्यमों का विशाल अनुपात है और इसके बाद लघु उद्यम (3 प्रतिशत) और मध्यम उद्यम (1 प्रतिशत) हैं।

एमएसएमई मंत्रालय कई योजनाएं चलाता है जिनका लक्ष्य है:–

(क) ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना,
(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण,
(ग) बुनियादी ढांचे का विकास,
(घ) विपणन सहायता,
(ङ) तकनीकी और गुणवत्ता उन्नयन
च) एमएसएमई के लिए अन्य सेवाएँ

भारत सरकार ने प्रवर्तित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से–एमएसएमई क्षेत्र को लाभ प्रदान करने एवं बड़ी संख्या में एमएसएमई इकांइयों के



Source: Annual Report of MoMSME 2023, MSME Pulse report August 2023

लाभान्वित होने में अतिसक्रिय देकदिकि निभाई है।

## एमएसएमई के लिए विभिन्न योजना

क) एमएसएमई के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता योजना

- क. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (पीएमईजीपी)
- ख. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रसट (सीजीटीएमएसई) – एमएसई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण को सक्षम बनाना

ख) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए योजनाएं

- क. नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (एस्पायर)
- ख. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

ग) अवसंरचना विकास के लिए योजना – कलस्टर एप्रोच के माध्यम से सहायता

- क. पारंपरिक उद्योगों के रिजेनरेशन के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई)
- ख. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

घ. विपणन सहायता के लिए योजना

- क. एमपीडीए के अधीन खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना

ङ) तकनीकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए योजना

- क. एमएसएमई संधारणीयता (जेडईडी)
- ख. एमएसएमई–नवोन्मेष (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए)

च) पूरे देश में एमएसएमई के लिए अन्य योजनाएं

- क. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता के लिए विपणन बदलाव को बढ़ावा देने पर एमएसएमई मंत्रालय, यूएनआईडीओ, जीईएफ–5 प्रोजेक्ट
- ख. एमएसएमई कार्यप्रदर्शन (आर एएमपी) योजना को विस्तार देना और बढ़ावा देना।

## परिदृश्य

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमएसई राष्ट्र निर्माण और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र को समर्थन में तेजी लाई जाए, और सरकार एमएसई की ओर व्यापार करने में आसानी की अपनी पहल को लक्षित करे। लक्षित सरकारी नीतियां अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसई को अर्थव्यवस्था के वांछित क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में एक प्रमुख उत्प्रेरक हो सकती हैं। यह अनुकूल नीतियां बनाकर, प्रोत्साहन देकर और सबसे महत्वपूर्ण, जमीनी बाधाओं को दूर करके किया जा सकता है, इसका प्रमुख उदाहरण ऋण तक आसान पहुंच है। सीजीटीएमएसई जैसी योजनाओं ने कई एमएसई को आसानी से औपचारिक ऋण तक पहुंचने में मदद की है।

भारत में एमएसई क्षेत्र को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की सतत वृद्धि तभी सुनिश्चित होगी जब वे समय पर आसानी से वित्त प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब एक मजबूत वित्तीय पारितंत्र हो। बैंकों और एनबीएफसी के अलावा, फिनटेक कंपनियां भी एमएसई के लिए नवीन डिजिटल वित्तीय समाधान तलाश रही हैं। डिजिटल ऋणदाताओं के पास ऋण देने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है। वे सहमति के साथ उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों के माध्यम से उधारकर्ताओं के आर्थिक व्यवहार, भुगतान इतिहास आदि को स्कैन करके उनकी साख की मैपिंग में क्रेडिट अंडरराइटिंग सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, एमएसई को वित्तपोषित करने के लिए अधिक डेटा और प्रौद्योगिकी–संचालित फिनटेक के प्रवेश से एमएसई और वित्तीय क्षेत्र दोनों मजबूत होंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी एक लंबा मार्ग तय है, लेकिन यह भी संदेह से परे है कि अपने मूल में उद्यमिता, नवाचार और चपलता के साथ, एमएसई क्षेत्र न केवल अगले पांच वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बल्कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विकास इंजन भी बन सकता है।

# सीजीटीएमएसई के बारे में

## नये विचार को गति देना। उद्यमिता को नई उंचाईयों तक पहुंचाना

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) द्वारा निभाई गई भूमिका दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक विकास पर काफी प्रभाव डालती है। एमएसई अपनी कुशल, लचीली, नवीन और उद्यमशीलता भावना के साथ अर्थव्यवस्था को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यद्यपि एमएसई भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं । उन्हें विशेष रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा संस्थागत ऋण तक पहुंच, संपार्श्विक आवश्यकताओं, स्टार्ट अप आदि के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना जुलाई 2000 में भारत सरकार और सिडबी द्वारा संपार्श्विक और/या तीसरे पक्ष की गारंटी मुक्त ऋण सुविधाओं की गारंटी देने के उद्देश्य से की गई थी ताकि भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण प्रवाह का बढ़ावा दिया जा सके।

सीजीटीएमएसई ने अपनी स्थापना के पिछले 23 वर्षों में एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के प्रवाह की सुविधा प्रदान करने में स्वयं को एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में स्थापित किया है। सीजीटीएमएसई ने समय-समय पर गारंटी योजनाओं में विभिन्न बदलाव पेश किए हैं जो योजना को एमएलआई के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं और एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं।

सीजीटीएमएसई भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक रहा है। इसने न केवल एमएसई के लिए ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की है बल्कि सफलता को आकार देने और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीजीटीएमएसई द्वारा समर्थित एमएसई की सफलता का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे-जैसे ये व्यवसाय बढ़ते हैं, वे स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देते हैं और रोजगार पैदा करने के साथ ही समग्र आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करते हैं।

राष्ट्र-निर्माण के उत्प्रेरक के रूप में, सीजीटीएमएसई आशा को प्रतिबिंबित करता है और जुनून से प्रेरित और विश्वास से भरे ठोस प्रयासों के माध्यम से दयालुता की प्रतिध्वनि करता है।

# उद्यमियों का देश

# सीजीटीएमएसई राष्ट्रव्यापी समर्थन

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीजीएस–1 एवं 2 हेतु मंजूर की गई गारंटियों की संख्या – **11,65,786**

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अनुमोदित राशि – **₹ 1,04,781 करोड़**

अस्वीकरणः यह नक्शा केवल पाठक को स्थानों को समझने में आसानी के लिए एक सामान्यीकृत चित्रण है और इसका उपयोग उद्देश्यों के संदर्भ हेतु नहीं किया जाता है। राजनीतिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व और भौगोलिक विशेषताओं/राज्यों के नाम आवश्यक रूप से वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। कंपनी या उसके किसी भी निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी जानकारी या डिजाइन के दुरुपयोग या गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी अपनी सटीकता या पूर्णता के लिए किसी भी प्रकार के कनेक्शन की वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

## वित्त वर्ष 2022–23 में सीजीएस–1 एवं 2 के लिए राज्यवार गारंटी कवरेज

| क्र सं. | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | गारंटी की संख्या | अनुमोदित राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 495 | 50 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 2,37,520 | 3,545 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 935 | 147 |
| 4 | असम | 21,195 | 2,156 |
| 5 | बिहार | 42,360 | 3,468 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1,706 | 303 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 17,733 | 1,569 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 364 | 80 |
| 9 | दमन और दीव | 141 | 30 |
| 10 | दिल्ली | 21,458 | 4,897 |
| 11 | गोवा | 2,826 | 325 |
| 12 | गुजरात | 43,336 | 8,209 |
| 13 | हरियाणा | 30,343 | 5,025 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 14,898 | 1,275 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 51,431 | 1,808 |
| 16 | झारखंड | 21,090 | 2,488 |
| 17 | कर्नाटक | 53,766 | 7,712 |
| 18 | केरल | 25,761 | 2,121 |
| 19 | लद्दाख | 467 | 44 |
| 20 | लक्ष्यद्वीप | 25 | 3 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 50,289 | 5,290 |
| 22 | महाराष्ट्र | 66,055 | 11,926 |
| 23 | मणिपुर | 2,268 | 171 |
| 24 | मेघालय | 1,410 | 160 |
| 25 | मिजोरम | 1,032 | 74 |
| 26 | नागालैंड | 1,813 | 162 |
| 27 | ओडिशा | 34,081 | 3,045 |
| 28 | पुदुच्चेरी | 1,087 | 107 |
| 29 | पंजाब | 49,720 | 4,385 |
| 30 | राजस्थान | 72,391 | 5,366 |
| 31 | सिक्किम | 765 | 61 |
| 32 | तमिलनाडु | 61,883 | 7,114 |
| 33 | तेलंगाना | 29,792 | 3,503 |
| 34 | त्रिपुरा | 3,845 | 207 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 1,30,769 | 10,742 |
| 36 | उत्तराखंड | 16,296 | 1,177 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 54,440 | 6,036 |
| | कुल | **11,65,786** | **1,04,781** |

N.B: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications.

# मूल्य–संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रगति को सक्षम बनाना

संपार्श्विक/तीसरे पक्ष की गारंटी की कठिनाई के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने स्वयं के सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) की एक इकाई स्थापित करने के सपने को साकार करने में सहायता का एक प्रमुख स्रोत होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार और सिडबी ने क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) प्रारंभ की ताकि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा सके और एमएसई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके।

सीजीटीएमएसई की सफलता न केवल एमएसई के लिए ऋण की बढ़ती पहुंच में बल्कि रोजगार सृजन, स्थानीय आर्थिक विकास और भारत में लघु व्यवसाय क्षेत्र की समग्र लचीलापन पर सकारात्मक प्रभाव में भी परिलक्षित होती है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित सीजीटीएमएसई एक व्यापक ढांचे के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें व्यवसायों की वृद्धि और विकास के लिए सुलभ और संपार्श्विक–मुक्त वित्तपोषण की सुविधा की दृष्टि से आकल्पित की गई पांच प्रभावशाली क्रेडिट गारंटी योजनाएं शामिल हैं।

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस–1)

यह योजना बैंकों/एलआई (ऋणदायी संस्थाओं) के माध्यम से संचालित की जाती है। संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना एमएलआई द्वारा एमएसई को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए रु. 5 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी। 'हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल' नामक एक अलग उत्पाद के अंतर्गत आंशिक संपार्श्विक सुरक्षा के साथ क्रेडिट सुविधाओं का असुरक्षित हिस्सा कवर किया गया। शुल्क में छूट और उच्च कवरेज के संदर्भ में विशेष लाभ महिला उद्यमियों/एससी/एसटी उद्यमियों/ आकांक्षी जिले में स्थित एमएसई/जेडईडी प्रमाणित एमएसई/विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) आदि जैसे क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं।

## एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस–2)

एमएसई परितंत्र में एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए विशेष रूप से एनबीएफसी के लिए एक समर्पित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस–2) तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण तक सुविधाजनक पहुंच को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना था। यह योजना जनवरी 2017 में प्रारंभ की गई थी।

एनबीएफसी पहुंच बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और व्यवसायों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, विशेष रूप से वंचित या विशिष्ट क्षेत्रों में व्यवसायों की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करके वित्तीय प्रणाली में योगदान करते हैं।

## अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी)

तनावग्रस्त एमएसएमई को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना जून 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करना था। एसएमए–2 और एनपीए खाते जो आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं। प्रवर्तक एमएसएमई इकाई में इक्विटी, अर्ध इक्विटी या उप–ऋण के रूप में ऋण डालेंगे। यह योजना 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो गई है और योजना के तहत कोई नई गारंटी जारी नहीं की गई है।

## पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस–पीएमएस)

कोविड–19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन ने रेहड़ी–पटरी वालों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उनकी सहायता के लिए भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेन्डर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना "पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम–स्वनिधि)" की घोषणा की। इस योजना में स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को औपचारिक बनाने और डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

## सह–उधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएससीएल)

आरबीआई द्वारा प्रारंभ की गई "सह–ऋण मॉडल" अर्थव्यवस्था के असेवित और अल्पसेवित क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार लाने और बैंकों से धन की कम लागत और एनबीएफसी की अधिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए अंतिम लाभार्थी को किफायती लागत पर धन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। सीजीटीएमएसई ने फरवरी 2022 में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से सह–उधार मॉडल के तहत क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज का विस्तार करने के लिए सह–उधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएससीएल) शुरू की।

# परिचालन संबंधी मुख्य बातें

## मुख्य विशेषताएं

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एमएसई के लिए

एमएसई के लिए, सीजीटीएमएसई रु. 200 लाख तक की गारंटी कवरेज प्रदान करता है (आरआरबी और चुनिंदा एफआई के लिए गारंटी कवरेज रु. 50 लाख तक है)। 01 अप्रैल, 2023 से गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाकर रु. 500 लाख कर दी गई है

### 75–85% कवरेज

गारंटी कवरेज की सीमा 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक होती है। 85 प्रतिशत की गारंटी कवरेज की सीमा सूक्ष्म उद्यमों, महिला उद्यमियों/एससी/एसटी उद्यमियों/आकांक्षी जिले में स्थित एमएसई/जेडईडी प्रमाणित एमएसई/दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी)/अग्निवीरों द्वारा प्रवर्तित एमएसई जैसी विशेष श्रेणियों के लिए है।

### उपयुक्त विवरण

औद्योगिक संस्थान और थोक व्यापार जिसमें विनिर्माण, सेवाएँ और थोक व्यापार व्यापारी शामिल हैं।

### 150 से अधिक पंजीकृत सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरबीआई), वित्तीय संस्थान, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी), शहरी सहकारी बैंक, गैर–अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, लघु वित्त संस्थान ( एमएफआई) और गैर–बैंकिंग वित्तीय निवेशक (एनबीएफसी) शामिल हैं।

## प्रदर्शन की विशेषताएं

सीजीएस –1 (बैंकों के लिए) रु. 85,522 करोड़

सीजीएस –2 (एनबीएफसी के लिए) रु. 19,260 करोड़

पीएम स्वनिधि रु. 1,683 करोड़

वित्त वर्ष 2022–23 रु. 1,06,474 करोड़

सीजीएसएसडी रु. 9 करोड़

खुदरा व्यापार रु. 26,970 करोड़

हाइब्रिड सुरक्षा रु. 7,836 करोड़

# वर्ष 2022–23 की उपलब्धियों से उत्साहित

## सीजीटीएमएसई के कार्यनिष्पादन की झलकियां

### 1. सीजीटीएमएसई की समग्र निधि

- ट्रस्ट की ₹2,500 करोड़ की प्रारंभिक समूह निधि का योगदान भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया था। भारत सरकार (₹7,000 करोड़) और सिडबी (₹500 करोड़) के योगदान से ट्रस्ट के कोष को धीरे–धीरे बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ कर दिया गया। ₹9,000 करोड़ का अतिरिक्त कोष (एमओएमएसएमई, भारत सरकार का हिस्सा –₹8,500 करोड़ और सिडबी का हिस्सा –₹500 करोड़) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। मार्च 2023 माह में भारत सरकार के ₹8,500 करोड़ के हिस्से में से ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त कोष प्राप्त हुआ है। शेष ₹1,000 करोड़ (भारत सरकार और सिडबी से प्रत्येक से ₹500 करोड़) वित्त वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है। ₹9,000 करोड़ अतिरिक्त कोष की मंजूरी के बाद सीजीटीएमएसई का कुल प्रतिबद्ध कोष ₹16,500 करोड़ हो गया है जिसमें से ₹15,500 करोड़ भारत सरकार का योगदान और ₹1,000 करोड़ सिडबी का योगदान है।

- 31 मार्च, 2023 तक सीजीटीएमएसई के पास उपलब्ध कुल धनराशि ₹24,945.14 करोड़ थी जो कि समूह निधि, अधिशेष, धारित आय आदि के लिए थी। योजना–वार धनराशि के विवरण इस प्रकार है:

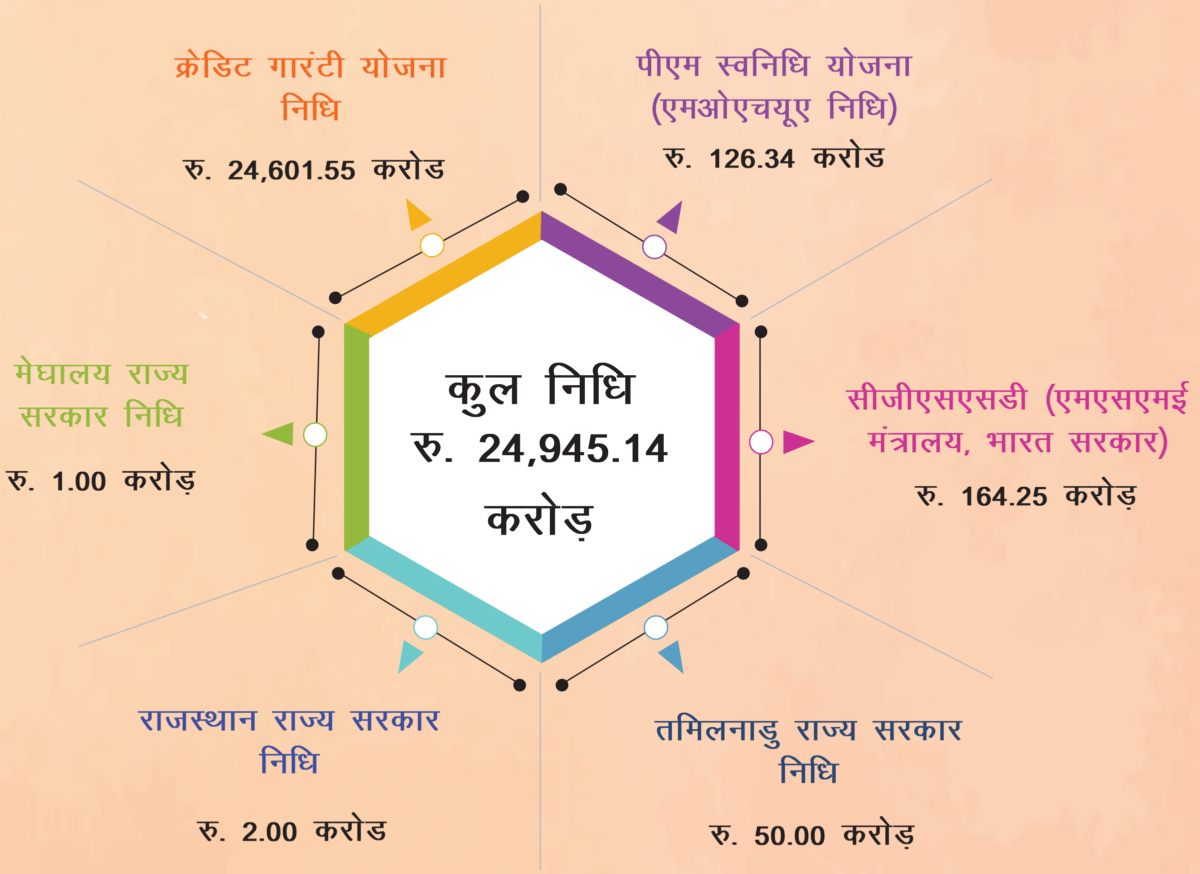

## 2. सीजीटीएमएसई द्वारा प्रबंधित/परिचालित की जा रही योजनाएं

सीजीटीएमएसई द्वारा पांच क्रेडिट गारंटी योजनाएं (सीजीएस) अर्थात् बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए सीजीएस–1, एनबीएफसी के लिए सीजीएस–2, अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी), पीएम स्वनिधि और सह–उधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना परिचालित की जा रही हैं। इनमें से सीजीएसएसडी को 31 मार्च, 2023 की समाप्ति पर प्रारंभ किया गया है और योजना के तहत कोई नई गारंटी जारी नहीं की जाती है।

## 3. सदस्य ऋणदायी संस्थान (एमएलआई)

31 मार्च, 2023 तक, सीजीएस–1 के तहत ट्रस्ट के एमएलआई की संख्या 119 थी जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 विदेशी बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थान, 10 लघु वित्त बैंक और 37 सहकारी बैंक शामिल थे। इसके अलावा, 45 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी सीजीएस–2 के तहत एमएलआई के रूप में पंजीकृत किया गया है। विशेष योजनाओं के संबंध में, 37 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सीजीटीएमएसई के एमएलआई के रूप में पंजीकरण कराया है और 164 ऋणदायी संस्थानों (एलआई) को पीएम स्वनिधि के तहत सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकृत किया गया है।

## 4. सभी गारंटी योजनाओं के तहत परिचालन

- सीजीएस–1 के तहत पिछले वर्ष 2021–22 ₹42,463 करोड़ के लिए 5,30,808 गारंटी की मंजूरी की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 10,50,313 गारंटियों को मंजूरी दी गई जिसकी राशि ₹85,522 करोड़ है। यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत गारंटी की संख्या में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि स्वीकृत गारंटी की राशि दोगुनी से अधिक हो गई। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक कुल 60,20,176 खातों को ₹3,55,197 करोड़ की गारंटी मंजूर की गई है।
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान सीजीएस–2 के तहत गारंटीड आवेदनों की कुल संख्या 1,15,473 थी जिसकी राशि रु. 19,260 करोड़ है। यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में अनुमोदित गारंटी की राशि में 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। संचयी रूप से 31 मार्च, 2023 तक सीजीएस–2 के तहत कुल 10,05,304 खातों को रु. 64,468 करोड़ की गारंटी मंजूर की गई है।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीएसएसडी के तहत 32 आवेदनों के लिए गारंटी कवरेज को मंजूरी दी गई जिसकी राशि रु. 9.55 करोड़ है। योजना 31 मार्च, 2023 तक परिचालित थी।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएम स्वनिधि के तहत 10,24,594 आवेदनों के लिए गांरटी को शामिल किया गया है जिसकी राशि रु. 1,683 करोड़ है।
- यह वर्ष ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि इसने अपनी स्थापना के बाद पहली बार ₹1 लाख करोड़ से अधिक की गारंटी को मंजूरी दी। ट्रस्ट ने वर्ष के दौरान ₹1,04,781 करोड़ की गारंटी को मंजूरी दी।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सभी योजनाओं के लिए ₹1,06,474 करोड़ की राशि के कुल 21,90,412 गारंटी को मंजूरी दी गई। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक कुल 1,10,83,693 खातों को सभी गारंटी योजनाओं के तहत सीजीटीएमएसई द्वारा ₹4,24,596 करोड़ की गारंटी मंजूरी दी गई है।

## 5. एमएलआई–वार कवरेज

- वित्त वर्ष 2023 के दौरान, सीजीएस–1 के तहत रु. 85,522 करोड़ राशि के 10,50,313 गारंटियों को मंजूरी गई थी और सीजीएस–1 के तहत कवर की गई राशि के संदर्भ में शीर्ष 10 बैंक निम्नलिखित हैं:

| क्र. सं. | एमएलआई का नाम | गारंटियों की सं. | मंजूर की गई गारंटियों की राशि (रु. करोड़) | सीजीएस–1 के तहत मंजूर की गई कुल गारंटी राशि में गारंटी राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 28,817 | 15,914.27 | 19% |
| 2 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 2,87,716 | 8,991.88 | 11% |
| 3 | पंजाब नैशनल बैंक | 1,77,182 | 8,809.03 | 10% |
| 4 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 16,720 | 7,777.09 | 9% |
| 5 | भारतीय स्टेट बैंक | 40,860 | 7,676.41 | 9% |
| 6 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1,19,017 | 6,995.69 | 8% |
| 7 | केनरा बैंक | 37,166 | 6,082.15 | 7% |
| 8 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 26,370 | 4,147.22 | 5% |
| 9 | बैंक ऑफ इंडिया | 27,397 | 3,541.21 | 4% |
| 10 | इंडियन बैंक | 50,892 | 2,493.25 | 3% |
| | **कुल** | **8,12,137** | **72,428.18** | **85%** |

- एनबीएफसी ने रु. 19,260 करोड़ की राशि के 1,15,473 गारंटी के लिए सीजीटीएमएसई के सीजीएस–2 के तहत कवरेज लिया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान शीर्ष 5 एनबीएफसी नीचे दिए गए हैं:

| क्र. सं. | एमएलआई का नाम | गारंटियों की सं. | मंजूर की गई गारंटियों की राशि (रु. करोड़) | सीजीएस–2 के तहत मंजूर की गई कुल गारंटी राशि में गारंटी राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड | 45,376 | 8,140.79 | 42% |
| 2 | टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस लिमिटेड | 19,865 | 2,662.55 | 14% |
| 3 | आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड | 9,621 | 2,077.17 | 11% |
| 4 | फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड | 10,570 | 1,964.51 | 10% |
| 5 | बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 15,944 | 1,504.22 | 8% |
| कुल | | **1,01,376** | **16,349.24** | **85%** |

## 6. सीजीटीएमई की पहचान

सीजीएस–1 एवं सीजीएस–2 के तहत कवरेज का राज्यवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2023 के दौरान निम्नलिखित पांच शीर्ष राज्य थे: :

| क्र. सं. | राज्य / यूटी | गारंटियों की सं. | मंजूर की गई गारंटियों की राशि (रु. करोड़) | कुल गारंटी राशि के लिए प्रतिशत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | 66,055 | 11,925.53 | 11% |
| 2 | उत्तर प्रदेश | 1,30,769 | 10,742.11 | 10% |
| 3 | गुजरात | 43,336 | 8,209.05 | 8% |
| 4 | कर्नाटक | 53,766 | 7,711.86 | 7% |
| 5 | तमिलनाडु | 61,883 | 7,113.94 | 7% |
| कुल | | **3,55,809** | **45,702.48** | **44%** |

## 7. सीजीएस–1 एवं 2 के लिए स्लैब–वार कवरेज

वित्त वर्ष 2023 में स्वीकृत ₹1,04,781 करोड़ के 11,65,786 प्रस्तावों में से ₹27,849 करोड़ (27 प्रतिशत) की राशि के प्रस्ताव में ₹10 लाख तक की क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित हैं, ₹20,750 करोड़ (20 प्रतिशत) की राशि के प्रस्तावों में ₹10 –₹25 लाख की सीमा में क्रेडिट सुविधाएं हैं, ₹22,411 करोड़ (21 प्रतिशत) की राशि के प्रस्ताव ₹25 –₹50 लाख की सीमा में हैं, ₹17,445 करोड़ (17 प्रतिशत) की राशि के प्रस्ताव ₹50 –₹100 लाख की सीमा में हैं और ₹16,327 करोड़ (15 प्रतिशत) की राशि के प्रस्ताव ₹100 लाख –₹200 लाख की सीमा में हैं।

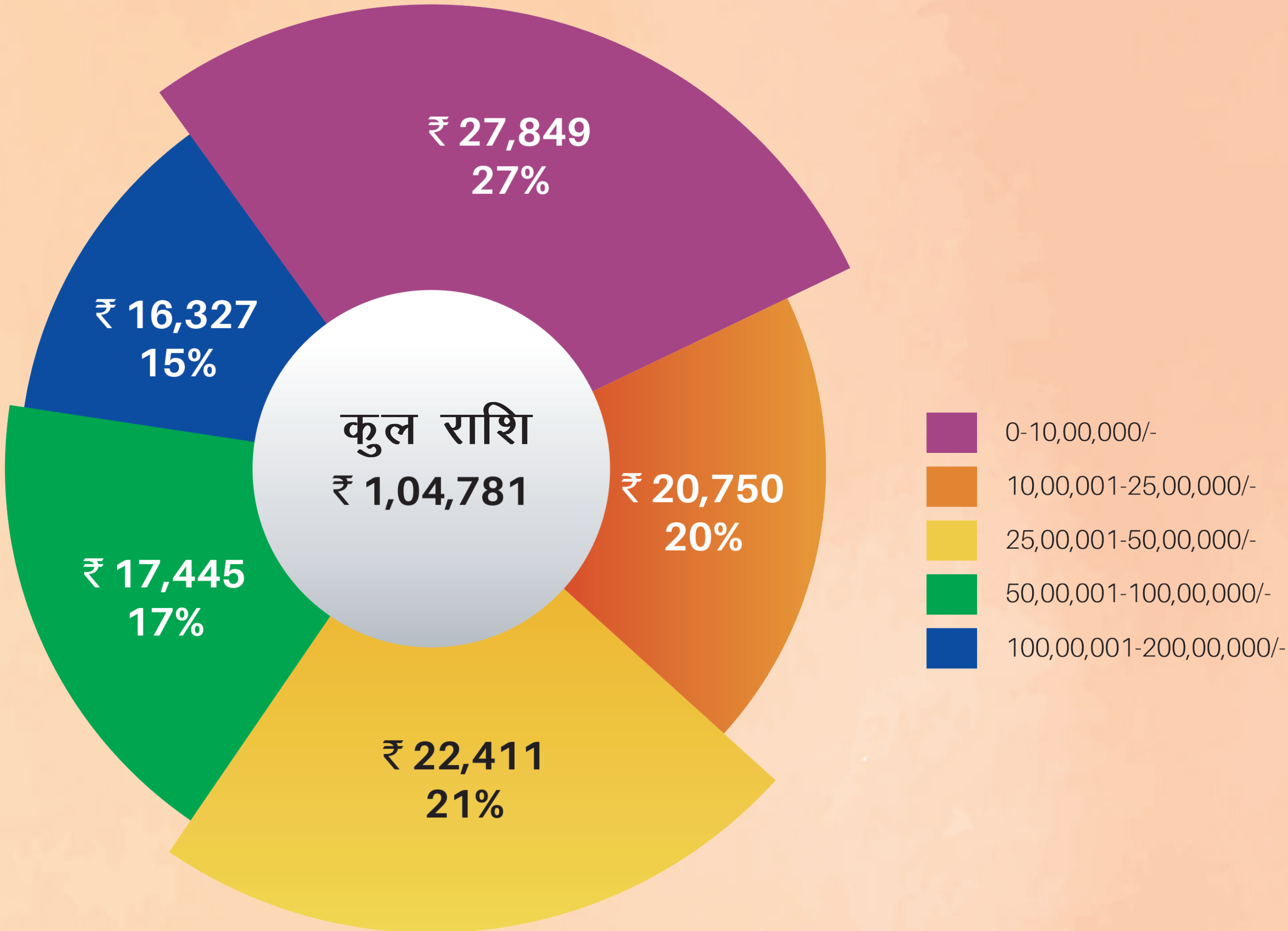


## 8. कवर किए गए ऋणों का औसत आकार

वित्त वर्ष 2023 के दौरान योजना के तहत कवर किए गए ऋणों का समग्र औसत आकार रु. 8.99 लाख था।

## 9. दावा निपटान एवं समाप्त

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹1,910 करोड़ की राशि के 1,02,278 दावों का निपटान किया गया। वर्ष के दौरान सीजीएस–1 के तहत दावे की पहली किस्त के लिए 65,838 इकाइयों के दावों का निपटान ₹1296 करोड़ और सीजीएस–2 के तहत 32,109 इकाइयों के लिए ₹517 करोड़ की राशि का निपटान किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान दावे की दूसरी/अंतिम किस्त के लिए ₹97 करोड़ की राशि के 4,331 दावों का निपटान किया गया।

यह उल्लेख करना फिर से सार्थक होगा कि ट्रस्ट ने अपनी स्थापना के बाद से वर्ष में सबसे अधिक दावों का निपटान किया है।

31 मार्च, 2023 तक संचयी रूप से सीजीटीएमएसई ने अब तक ₹10,325 करोड़ की राशि के 4,61,184 दावों का निपटान किया है।

### दावा निपटान पश्चात वसूली

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त ₹166 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ट्रस्ट को पहले दावे के निपटान के बाद एमएलआई से वसूली के रूप में ₹328 करोड़ प्राप्त हुए। वसूली की प्राप्ति मुख्य रूप से दावा पश्चात निपटान निगरानी तंत्र के कारण होती है।

## 10. कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) (डीसी/एचसी), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार

डीसी (हस्तशिल्प) ने भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र के हस्तशिल्प क्षेत्र को एमएलआई द्वारा दिए गए ₹2 लाख तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2016 के दौरान सीजीटीएमएसई के पास ₹25 लाख की अग्रिम धनराशि रखी थी। 31 मार्च, 2023 तक सीजीटीएमएसई ने ₹25 लाख में से ₹2,00,128/– की राशि का उपयोग कर लिया था।

## 11. विभिन्न योजना/बैंक श्रेणी के अधीन कार्यप्रदर्शन

- **पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस–पीएमएस):** यह योजना जुलाई 2020 के दौरान प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत 164 एमएलआई पंजीकृत थे। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 को रु. 4,834 करोड़ की राशि के 40,57,410 खातों को गारंटी मंजूरी प्रदान की गई है और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के तहत रु. 1,683 करोड़ की राशि के 10,24,594 गारंटियों को मंजूरी प्रदान की गई थी। पहले, दूसरे एवं तीसरे ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर में संशोधन जैसे योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के साथ इस योजना को मार्च 2022 से दिसम्बर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- **अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी):** अवधि के दौरान, योजना के तहत 37 एमएलआई पंजीकृत थे। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक रु. 97 करोड़ के कुल 803 खातों को गारंटी मंजूरी प्रदान की गई और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के तहत रु. 10 करोड़ की राशि के कुल 32 गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई । यह योजना 31 मार्च, 2023 तक परिचालन में थी।
- **को–ऑपरेटिव बैंक:** वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान को–ऑपरेटिव बैंकों को योग्य बनाया गया था। सीजीएस–1 के तहत कुल 37 को–ऑपरेटिव बैंक पंजीकृत हैं जिनमें से 9 वित्त वर्ष 2023 के दौरान पंजीकृत हुए हैं। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक रु. 802 करोड़ के कुल 3001 खातों को गारंटी मंजूरी प्रदान की गई और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीएस–1 के तहत रु. 248 करोड़ की राशि के कुल 836 गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** 43 आरआरबी में से, सीजीएस–1 के तहत 23 पंजीकृत हैं जिनमें से 1 वित्त वर्ष 2023 के दौरान पंजीकृत किया गया है। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक रु. 5,057 करोड़ के कुल 3,42,244 खातों को गारंटी मंजूरी प्रदान की गई और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीएस–1 के तहत रु. 1,270 करोड़ की राशि के कुल 1,34,249 गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई।
- **लघु वित्त बैंक:** सीजीएस–1 के तहत कुल 10 एसएफबी वर्तमान में पंजीकृत हैं। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक रु. 700 करोड़ के कुल 2,507 खातों को गारंटी मंजूरी प्रदान की गई और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीएस–1 के तहत रु. 256 करोड़ की राशि के कुल 750 गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई।

## 12. सीजीएस परिचालनों का समग्र प्रभाव

जैसा कि तालिका में दिया गया है, क्रेडिट गारंटी वाले एमएसई के टर्नओवर, निर्यात और रोजगार के मामले में सीजीटीएमएसई के परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| संचयी गारंटियां (ट्रस्ट की स्थापना से) सभी योजनाओं के लिए अनुमोदित (संख्या में) | 1,10,83,693 | 88,93,281 |
| सभी योजनाओं के लिए गारंटी राशि (रु. करोड़) | 4,24,597 | 3,18,122 |
| गारंटीड यूनिटों का अनुमानित टर्नओवर (रु. करोड़) | 79,38,677 | 71,99,126 |
| गारंटीड यूनिटों द्वारा अनुमानित निर्यात (रु. करोड़) | 24,441 | 24,033 |
| अनुमानित रोजगार सृजन (सं. लाख) | 181 | 155 |
| सभी योजनाओं के लिए एमएलआई की संख्या | 365 | 322 |
| महिला लाभार्थी (कुल गारंटी संख्या का प्रतिशत) | 21 | 19 |
| एनईआर (प्रतिशत) | 3 | 3 |

# वार्तालाप / कार्यशालाएं

योजना की पहुंच को गहरा और व्यापक बनाने और सीजीटीएमएसई की संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) पर जानकारी का प्रसार करने एवं पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम करने के लिए शुरू की गई विशेष गारंटी योजनाओं का उपयोग करने और एमएलआई पर प्रभाव डालने के लिए सीजीटीएमएसई ने सर्कल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, आदि सहित विभिन्न स्तरों पर अपने सदस्य ऋणदायी संस्थानों के बैंक अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं / प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया और उनमें भाग लिया। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 71 सेमिनारों / कार्यशालाओं / बैंकर्स मीट में भाग लिया और 8 व्यवसाय विकास बैठकें आयोजित कीं तथा क्रेडिट गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों / छोटे उद्यमों को जागरूक करने के लिए प्रस्तुतियाँ दीं।

## 13. लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन त्रिपाठी एंड कं., मुंबई, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीजीटीएमएसई के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षकों ने संपूर्ण प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की और राजस्व, व्यय, निवेश आदि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा संपन्न की। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सिफारिश के अनुसार बोर्ड ने मैसर्स माहेश्वरी एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीजीटीएमएसई के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

## 14. लेखा

ट्रस्ट ने रु. 3,277 करोड़ की सकल आय अर्जित की जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (रु. 964 करोड़) और वार्षिक गारंटी और सेवा शुल्क (रु. 1,176 करोड़), निवेश पर अर्जित आय (रु. 807 करोड़) और एमएलआई से वसूली और अन्य आय (रु. 330 करोड़) शामिल है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए रु. 13 करोड़ की राशि खर्च की। वित्त वर्ष 2022–23 से ट्रस्ट की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक प्रावधान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

| विवरण | राशि (रु. करोड़) |
|---|---|
| 1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष | 6,312 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया दावा | 1,808 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 3,220 |
| 31 मार्च 2023 को समापन शेष राशि | 7,724 |

31 मार्च 2023 तक संचयी प्रावधान रु. 7,724 करोड़ अनुमानित है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दावों के लिए प्रावधान के बाद व्यय पर आय का आधिक्य (कर पूर्व) रु. 44 करोड़ था। 31 मार्च 2023 तक समूह निधि का आकार रु. 15,500 करोड़ था। यह कॉपर्स अंशदान प्राप्त हो गया है और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित शुद्ध आय को बैंकों/संस्थानों और एमएफ के एफडी में निवेश किया गया है। 31 मार्च 2023 को कुल निधि पिछले वर्ष के अंत में रु. 15,616 करोड़ की तुलना में रु. 24,602 करोड़ थी।

## 15. प्रबंधन एवं संगठन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान न्यासी बोर्ड में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान न्यासी बोर्ड की तीन बैठकें हुई। 31 मार्च, 2023 तक सीईओ सहित तीन अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

सीजीटीएमएसई का न्यासी बोर्ड एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, डीसी (एमएसएमई), सिडबी, आरबीआई, आईबीए, सीजीटीएमएसई के एमएलआई, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों और एमएसई उद्योग संघों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है।

# सफलताओं द्वारा प्रेरित

## वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम

वर्ष के दौरान गांटरी उत्पाद की मांग और आपूर्ति दोनों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतिगत स्तर पर संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन नीचे दिये गये हैं:

- 01 अप्रैल, 2023 से गारंटी कवरेज की सीमा रु. 2 करोड़ से बढ़ाकर रु. 5 करोड़ की गई।
- 01 अप्रैल, 2023 से शुल्क में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की अधिकतम दर से 0.37 प्रतिशत प्रति वर्ष की उल्लेखनीय कमी के साथ नई गारंटी शुल्क संरचना प्रवर्तित की गई है।
- पहली बार बेहतर प्रबंधित एमएलआई को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए छूट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
- आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसई के लिए उदार शर्तों पर गारंटी यानी मानक दर पर गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की रियायत और गारंटी कवरेज की सीमा में 10 प्रतिशत  वृद्धि की शुरुआत की गई।
- अग्निवीरों द्वारा प्रवर्तित एमएसई के लिए उदार शर्तों पर गारंटी यानी मानक दर पर गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की रियायत और गारंटी कवरेज की सीमा में 10 प्रतिशत वृद्धि की शुरुआत की गई।
- गारंटी की उदार शर्तों के मामले में जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को उत्तर पूर्वी राज्यों के बराबर लाया गया है। यह उन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप है जो परंपरागत रूप से वंचित रहे हैं।
- जेडईडी प्रमाणित एमएसई को विशेष लाभ 10 प्रतिशत कम गारंटी शुल्क और 10 प्रतिशत बढ़ी हुई गारंटी कवरेज के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- महिला उद्यमियों के साथ–साथ एससी/एसटी उद्यमियों और दिव्यांगों को सहयोग देने की दृष्टि से उद्यमियों के इस वर्ग को दी गई गारंटी के संबंध में गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की रियायत और 85 प्रतिशत कवरेज शुरू किया गया है।
- आर्थिक रूप से वंचित समूहों को आसानी से ऋण देने और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) को क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत सदस्य ऋणदायी संस्थान के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र बनाया गया है जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण विकास को अपेक्षित गति प्राप्त हो सके।
- ट्रेडिंग गतिविधि (एमएसई खुदरा व्यापार और थोक व्यापार) को कवरेज की सीमा क्रेडिट गारंटी कवरेज की सीमा और गारंटी शुल्क के संबंध में अन्य गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है।
- वर्ष के दौरान दावा निपटान में आसानी के लिए कानूनी कार्यवाई से छूट की सीमा रु. 1 लाख से रु. 5 लाख बढ़ा दी गई है जो सदस्य ऋणदायी संस्थानों द्वारा दावों के क्रियान्वयन के लागू करते समय इसे और बढ़ाकर रु. 10 लाख (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी) कर दिया गया।
- सीजीटीएमएसई ने संबंधित राज्यों में ऋण वितरण की सुविधा के लिए गारंटी तंत्र को एक आकर्षक साधन बनाने के उद्देश्य से राज्य विशिष्ट गारंटी के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की पहल की। तंत्र के तहत सीजीटीएमएसई अपनी सीजीएस–1 योजना के तहत प्रयोज्य गारंटी कवरेज प्रदान करना जारी रखेगा। राज्य सरकार की ओर से सीजीटीएमएसई के पास संरक्षित निधि में से राज्य सरकार की ओर से 10 प्रतिशत–25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। 31 मार्च, 2023 तक पांच राज्य सरकारों यथा तमिलनाडु, असम, मणिपुर, मेघालय राज्य सरकारके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान के मूल निवासी एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा प्रचारित एमएसई के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

## अन्य घटनाक्रम/पहलें

- कोरिया क्रेडिट गारंटी फंड (केओडीआईटी) द्वारा 34वां एसीएसआईसी सम्मेलन 7–11 नवंबर, 2022 के दौरान डेगू, कोरिया में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय था "महान यात्राः लचीले और सतत विकास के लिए एसएमई वित्तपोषण को कैसे बढ़ाया जाए"। अध्यक्ष, एडीसी, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और सीईओ ने सम्मेलन में भाग लिया और अपनी अंतर्दृष्टि, गहन ज्ञान और अनुभवों को साझा/आदान–प्रदान किया। डिजिटालाइजेशन और नवाचार के साथ एसीएसआईसी सदस्यों ने एमएसई क्षेत्र को बैंक के ऋण देने में भारी समर्थन प्रदान करके और एमएसई को संपार्श्विक–मुक्त ऋण देने को सबसे पसंदीदा और लाभदायक विकल्प बनाने के लिए अपने परिचालन में विश्वास बढ़ाने के उपायों को शामिल करके परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया।

नेपाल के डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी फंड (डीसीजीएफ) के प्रतिनिधियों ने सीजीटीएमएसई के संचालन, मॉडल/वास्तुकला और प्रणाली पर अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया। इसी तरह, सऊदी अरब की कफाला (क्रेडिट गारंटी कंपनी) और डेवलपमेंट बैंक ऑफ नाइजीरिया (डीबीएन) ने भी क्रेडिट गारंटी योजना और इसके संचालन को समझने के लिए सीजीटीएमएसई का दौरा किया। बातचीत के दौरान संबंधित देशों में एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह का लाभ पहुंचाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों/पहलों पर चर्चा की गई।

- समृद्ध अनुभवों को साझा करने और विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए सऊदी अरब में आयोजित 'बीआईबीएएन 2023' के लिए कफाला (क्रेडिट गारंटी कंपनी) द्वारा आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व देशों और सीजीटीएमएसई के बीच दीर्घकालिक पारस्परिक संबंध बनाना है। इस तरह की भागीदारी से नए उत्पादों/योजना पर नवाचार के लिए नए मार्ग खुलते हैं।

- क्रेडिट गारंटी योजना में पेश किए गए संशोधनों का प्रसार करने और एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए विचारों के आदान–प्रदान के लिए 30 जनवरी, 2023 को बैंकर्स मीट का आयोजन किया गया था।

- अपने एमएलआई के लिए व्यावसायिक सुगमता प्रदान करने हेतु सीजीटीएमएसई ने उस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की शुरुआत की है जिस पर संपूर्ण गारंटी योजना काम करती है। सीजीटीएमएसई ने गारंटी प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) नामक एक विस्तृत अग्रिम प्रणाली शुरू करने की पहल की। यह एक समान एकीकृत मंच होगा जिसमें गारंटी की मंजूरी से लेकर दावा निपटान तक क्रेडिट गारंटी की पूरी यात्रा शामिल है। समाधान में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) होंगे जो एमएलआई को मानव हस्तक्षेप के बिना सीधे डेटा को आगे बढ़ाने के लिए सीजीटीएमएसई प्रणाली के साथ अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को एकीकृत करने में सक्षम बनाएंगे। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के साथ एपीआई एकीकरण किया गया है। इससे गारंटी की वास्तविक समय पर मंजूरी के अलावा डेटा की शुद्धता सुनिश्चित होगी, जिससे एमएलआई की ओर से संवितरण टीएटी में सुधार होगा।
- एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को मजबूत करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ चर्चा चल रही है। .
- सीजीटीएमएसई ने एमएसएमई क्षेत्र में सोलर रूफटॉप स्थापनाओं को बढ़ाने के लिए एमएसएमई/आरईएससीओ को ऋण देने में सहायता के लिए एमएसएमई के लिए सोलर रूफटॉप क्रेडिट गारंटी योजना को लागू करने हेतु विश्व बैंक और केएफडब्ल्यू के साथ साझेदारी की है।

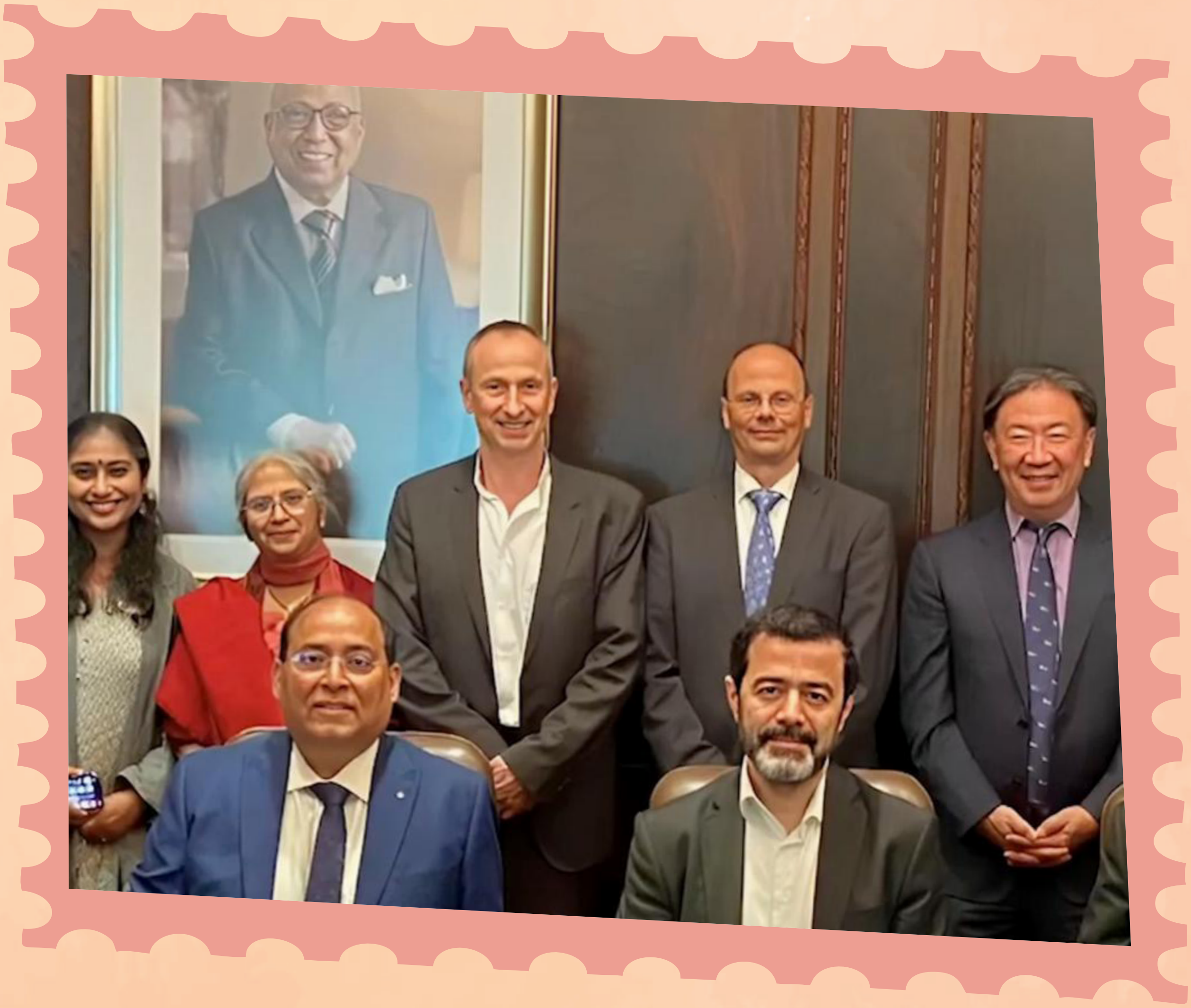

- मौजूदा संगठनात्मक संरचना और जनशक्ति का पुनर्गठन किया गया है। नई मानव संसाधन नीतियों, नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को डिजाइन और परिभाषित करने, कार्यात्मक संरचनाओं के निर्माण आदि के साथ प्रमुख मानव संसाधन बदलाव हुआ है।

- वित्त वर्ष 2023 के दौरान 5 नए बैंकों ने पहली बार सीजीटीएमएसई के तहत कवरेज का लाभ उठाना शुरू किया। इन 5 बैंकों में 2 आरआरबी, 1 लघु वित्त बैंक और 2 सहकारी बैंक अर्थात् मेघालय ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, प्रियदर्शनी नागरी सहकारी बैंक मर्यादित और आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हैं।

- सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1 लाख करोड़ की गारंटी को मंजूरी देने के उल्लेखनीय आंकड़े को पार करके एक कीर्तिमान बनाया है। सीजीटीएमएसई की इस वित्तीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि"हमारी अर्थव्यवस्था को नई अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम हमारे युवाओं की उद्यमशीलता के जोश को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं"।

## अन्य पुरस्कार एवं समारोह

- सीजीटीएमएसई का 22वां स्थापना दिवस 27 जुलाई, 2022 को मनाया गया। इसने कर्मचारियों को एक साथ आने, संगठन की उपलब्धियों पर विचार करने और उन प्रमुख व्यक्तियों के योगदान की सराहना करने का अवसर दिया जिन्होंने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने एकता, टीम भावना, गौरव की भावना को बढ़ावा दिया और भविष्य के लिए नए लक्ष्य और आकांक्षाएं निर्धारित करने में सहायता प्रदान की।

- कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने, उन्हें सक्षमता और आश्वासन के साथ कार्यों को संभालने में सक्षम बनाने के लिए वित्त वर्ष 23 के दौरान सीजीटीएमएसई स्टाफ प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी अपनी भूमिका निभाने, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। इसे एक आवश्यक घटक माना जाता है जो कर्मचारियों को सशक्त बनाता है और कार्यालय के समग्र विकास और सफलता में योगदान करता है।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम के साथ मनाया जा रहा है। कार्यालय स्टाफ द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ ली गई।

- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत की एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता और भारत की सार्वभौमिकता से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, 2022 को मनाया गया।

- सीजीटीएमएसई को इवेंट ईटी गवर्नमेंट, गोवा में "व्यवसाय करने में आसानी के लिए डिजिटल श्रेणी 2023" के लिए पुरस्कार मिला।

- सीजीटीएमएसई को क्वांटिक बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 'बेस्ट इन एंड–टू–एंड सिक्योरिटी (सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र)' में प्रतिष्ठित 'टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवॉर्ड 2023' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सीजीटीएमएसई के तकनीकी परिदृश्य में क्रांति जारी रखने और सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के हमारे जुनून को बढ़ाता है।

# भविष्य की ओर हमारी जारी यात्रा

सीजीटीएमएसई के कार्यकलापों में पिछले कुछ वर्षों में एक प्रयक निष्पादन–शैली दिखाई देती है जो अर्थव्यवस्था में हो रही मजबूत वृद्धि के साथ संरेखित है और एमएसई खंड को और भी अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने में योगदान दे रहा है। सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 23 के दौरान रु. 1 लाख करोड़ से अधिक की गारंटी को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और इस तरह लगभग 12 लाख इकाइयों को संपार्श्विक संपत्ति की आवश्यकता के बिना ऋण प्रत्याभूत करने में मदद की। यहां यह उल्लेखनीय है कि सीजीटीएमएसई के परिचालन का स्तर पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग 3 गुना बढ़ गया है।

इस तरह की अभूतपूर्व वृद्धि सीजीटीएमएसई के वर्तमान प्रबंधन द्वारा सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर किए गए विभिन्न नीति और परिचालन गत संशोधनों के परिणामस्वरूप हुई है और वित्त वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय बजट के दौरान की गई घोषणा के आधार पर सीजीटीएमएसई योजना लागू होगी और आवश्यक धनराशि लगाकर इसका पुनरुद्धार किया जाए। इस तरह के संशोधनों से उन छोटे एमएसई को ऋण का प्रवाह बढ़ा है जो निचले स्तर पर अवस्थित हैं।

व्यवसाय करने में आसानी के साथ सीजीटीएमएसई विभिन्न क्षेत्रों और परिक्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस विस्तार में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वंचित क्षेत्रों और समुदायों तक पहुंच शामिल है। सीजीटीएमएसई एमएसई क्षेत्र में उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन गारंटी उत्पादों का पता लगा रहा है। इसमें विशिष्ट उद्योगों, वित्तपोषण के प्रकार या आर्थिक स्थितियों के लिए गारंटी योजनाएं तैयार करना शामिल है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना सीजीटीएमएसई की भविष्य की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और प्रक्रियाओं को लागू करने से दक्षता बढती है और कागजी कार्यवाई कम होती है तथा एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी की समग्र पहुंच में सुधार होता है। सीजीटीएमएसई ने पहले से ही अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके गारंटी प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) नामक एक विस्तृत अग्रिम प्रणाली का विकास करना प्रारंभ किया है जो निर्बाध डेटा प्रवाह के लिए ऋण देने वाले संस्थानों के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ एपीआई एकीकरण की मदद से मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करेगा। नई जीएमएस प्रणाली से उपयोगकर्ता अनुभव को फिर से परिभाषित करने का अनुमान है और इसमें संचालन और निगरानी में सुगमता के लिए इंटरैक्टिव रीयलटाइम डैशबोर्ड एवं मोबाइल एप्लिकेशन होगा।

सीजीटीएमएसई विभिन्न सरकारी निकायों, उद्योग संघों और विश्व बैंक सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अपने सहयोग को मजबूत कर रहा है। यह सहयोगपरक दृष्टिकोण एमएसई के लिए एक सहायक पारितंत्र को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा स्वयं समर्थित एमएसई की सफलता के लिए सीजीटीएमएसई क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने के संबंध में विचार कर रहा है। इसमें एमएसई उद्यमियों की वित्तीय साक्षरता और प्रबंधकीय क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल शामिल है।

सीजीटीएमएसई की सफलता का श्रेय ट्रस्ट द्वारा नई पहलकदमियों की निरंतर खोज, परिवर्तनकारी सुधार और उभरती एमएसई मांग के अनुकूल सतत अग्रसर होते रहना है।

# समर्पित टीम
# सीजीटीएमएसई की ताकत

# विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग

(01 सितंबर 2023 तक)

असम

गोवा

मणिपुर

मेघालय

राजस्थान

तमिलनाडु

पश्चिम बंगाल

# वित्तीय
# विवरण

# वित्त वर्ष 2022–23 के लिए स्वतंत्र सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुंबई

1. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है जिसमें तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, नकदी प्रवाह विवरण और नोट्स शामिल हैं। यह वित्तीय विवरण ट्रस्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करते है कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशि का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

3. प्रबंधन की जिम्मेदारियां और उन पर प्रभारित वित्तीय विवरणों का अभिशासनः प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मामलों की स्थिति, संचालन के परिणाम और इकाई के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं जिन्हें आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है और महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्यों न हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन इकाई की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि प्रयोजन है, चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चल रहे मामलों के आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई के परिसमापन करने का इरादा नहीं रखता हो या संचालन बंद कर देना चाहता हो, या उसके समक्ष ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो जिन लोगों पर इनके अभिशासन की जिम्मेदारी वे इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

4. वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

   हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संपन्न एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा जब यह मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि विशेष से उत्पन्न हो सकती है और इसे सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या समग्र मिलाकर, उन्हें आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हो।

5. हम रिपोर्ट करते हैं कि

   क. हमने सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

   ख. हमारी राय में ट्रस्ट द्वारा आवश्यक रूप से खातों की सम्यक/यथोचित लेखे बहियो का रखरखाव किया जाता है, जहां तक इनकी हमारी जांच से हमें प्रतीत होता है।

   ग. रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और नकद प्रवाह विवरण बही–खातों के अनुरूप हैं।

   घ. हमारी राय में, वित्तीय विवरण, उन पर नोट्स के साथ पढ़े जाते है सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, अर्थात

      i. तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2023 तक ट्रस्ट की स्थिति।

ii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ट्रस्ट के व्यय की तुलना में आय की अधिकता और व्यय खाते के मामले में।

iii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते माहेश्वरी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 105834डब्ल्यू

हस्ता./–
पवन गटानी
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 144734

स्थानः मुंबई
दिनांकः 26.09.2023
यूडीआईएनः 23144734बीजीआरआईडीजे4072

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# तुलनपत्र

31 मार्च 2023 तक

राशि (₹)

| विवरण | अनुसूचियां | 31 मार्च, 2023 तक | | 31 मार्च, 2022 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| निधियों के स्रोत | | | | | |
| समूह निधि | 1 | | 1,68,43,32,62,977 | | 87,98,88,10,283 |
| सामान्य आरक्षितियां | 2 | | 74,20,662 | | 74,20,662 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 3 | | 97,45,40,88,139 | | 80,51,65,48,998 |
| | | | | | |
| **कुल** | | | **2,65,89,47,71,778** | | **1,68,51,27,79,943** |
| | | | | | |
| **निधियों का अनुप्रयोग** | | | | | |
| **अचल आस्तियां** | | | | | |
| कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर | | 1,59,31,962 | | 1,46,67,147 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती | | 1,34,06,706 | 25,25,256 | 1,16,69,180 | 29,97,967 |
| | | | | | |
| फर्नीचर एवं फिक्चर | | 9,77,594 | | 10,03,384 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती | | 7,20,719 | 2,56,875 | 6,46,260 | 3,57,124 |
| | | | | | |
| मोटर कार | | 12,66,029 | | 12,66,029 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती | | 12,02,728 | 63,301 | 11,67,305 | 98,724 |
| | | | | | |
| बिजली के उपकरण | | 9,08,157 | | 8,51,613 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती | | 6,14,681 | 2,93,476 | 5,43,744 | 3,07,869 |
| | | | **31,38,908** | | **37,61,684** |
| | | | | | |
| **निवेश** | 4 | | 2,56,69,14,32,500 | | 1,62,09,74,72,371 |
| **चालू परिसम्पत्तियां** | | | | | |
| रोकड़ शेष | | | 2,312 | | 795 |
| बैंक में शेष राशि | 5 | | 4,65,95,52,778 | | 2,67,54,57,706 |
| प्राप्तियां | 6 | | 16,32,83,245 | | 15,78,70,446 |
| कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम | 7 | | 4,37,73,62,035 | | 3,57,82,16,941 |
| | | | | | |
| **कुल** | | | **2,65,89,47,71,778** | | **1,68,51,27,79,943** |
| लेखे से सम्बद्ध टिप्पणियां | 9 | | | | |

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

**कृते माहेश्वरी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 105834डब्ल्यू**

**सीजीटीएमसी के न्यासी मंडल की ओर से**

**हस्ता./–**
**(पवन गटानी)**
साझेदार
सदस्यता सं. 144734

**हस्ता./–**
**(संदीप वर्मा)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

**हस्ता./–**
**(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)**
अध्यक्ष

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 26 सितम्बर, 2023

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

| विवरण | अनुसूचियां | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|---|
| **आय** | | | |
| सावधि जमाराशि पर ब्याज | | 7,94,91,14,589 | 6,24,16,42,252 |
| म्युचुअल फंड से आय | | 12,08,00,467 | 5,26,67,893 |
| गारंटी शुल्क | | 9,64,04,66,273 | 5,45,51,06,838 |
| वार्षिक गारंटी/सेवा शुल्क | | 11,75,89,00,230 | 10,14,41,35,026 |
| विविध आय | | 1,95,04,421 | 2,84,57,296 |
| भुगतान किये गये दावे खाते पर एमएलआई से वसूलियां | | 3,28,45,67,408 | 1,66,15,10,474 |
| | | **32,77,33,53,388** | **23,58,35,19,779** |
| **व्यय** | | | |
| परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय | 8 | 12,76,47,801 | 10,90,86,290 |
| गारंटी दावों के लिए प्रावधान | 3 (क) | 32,19,90,00,000 | 23,21,90,00,000 |
| बैंक प्रभार | | 2,774 | 8,607 |
| मूल्यह्रास | | 19,45,564 | 27,23,386 |
| | | **32,32,85,96,139** | **23,33,08,18,283** |
| **व्यय की तुलना में आय का आधिक्य** | | **44,47,57,249** | **25,27,01,496** |
| जोड़ें/(घटाएं): पूववर्ती अवधि की मदें | | (3,04,555 ) | - |
| कर से पूर्व अधिशेष | | **44,44,52,694** | **25,27,01,496** |
| जोड़ें: आयकर प्रावधान पुनरांकित | | - | 33,67,00,000 |
| घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान | | **-** | **-** |
| कर पश्चात अधिशेष | | **44,44,52,694** | **58,94,01,496** |
| घटाएं: सामान्य आरक्षिती को अंतरण | | **-** | **-** |
| व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया | | **44,44,52,694** | **58,94,01,496** |
| खातों से सम्बद्ध टिप्पणियां | **9** | | |

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

उक्त आय एवं व्यय लेखा और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

**कृते माहेश्वरी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 105834डब्ल्यू**

**सीजीटीएमसी के न्यासी मंडल की ओर से**

हस्ता./—
**(पवन गटानी)**
साझेदार
सदस्यता सं. 144734

हस्ता./—
**(संदीप वर्मा)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

हस्ता./—
**(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)**
अध्यक्ष

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 26 सितम्बर, 2023

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2023 तक

राशि (₹)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक | | 31 मार्च, 2022 तक | |
|---|---|---|---|---|
| **परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार कर पूर्व व्यय पर आय का आधिक्य | | 44,44,52,694 | | 25,27,01,496 |
| जोडें: आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास | 19,45,564 | | 27,23,386 | |
| जोडें: आयकर प्रावधान पुनरांकित | - | | 33,67,00,000 | |
| गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान आय एवं व्यय खाते को डेबिट किए गए | 32,19,90,00,000 | | 23,21,90,00,000 | |
| घटाएं: सावधि जमाराशि पर ब्याज | (7,94,91,14,589) | | (6,24,16,42,252) | |
| घटाएं: म्युचुअल फंड से आय | (12,08,00,467) | | (5,26,67,893) | |
| | | **24,13,10,30,508** | | **17,26,41,13,241** |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह | | **24,57,54,83,202** | | **17,51,68,14,737** |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन | | | | |
| प्राप्त राशियों में (वृद्धि)/कमी | (54,12,799) | | 24,91,846 | |
| कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य राशि में (वृद्धि)/कमी | - | | (33,80,38,556) | |
| वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी | 2,81,65,75,326 | | 1,57,17,58,418 | |
| | | **2,81,11,62,527** | | **1,23,62,11,708** |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन | | **27,38,66,45,729** | | **18,75,30,26,445** |
| | | | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान निपटाए गये दावे | (18,07,80,36,185) | | (12,27,38,90,742) | |
| कर की अग्रिम अदायगी | (79,91,45,094) | | (69,77,50,847) | |
| | | **(18,87,71,81,279)** | | **(12,97,16,41,589)** |
| परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी प्रवाह (क) | | **8,50,94,64,450** | | **5,78,13,84,856** |
| निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह | | | | |
| वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों का (अधिग्रहण)/निपटान | (13,22,788) | | (4,33,262) | |
| वर्ष के दौरान निवेश में वृद्धि | (94,59,39,60,129) | | (10,12,34,87,570) | |

नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

राशि (₹)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक | | 31 मार्च, 2022 तक | |
|---|---|---|---|---|
| निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख) | | **(94,59,52,82,917)** | | **(10,12,39,20,832)** |
| वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | | | |
| वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि | 80,00,00,00,000 | | | |
| म्युचुअल फंड पर आय | 12,08,00,467 | | 5,26,67,893 | |
| निवेश पर ब्याज आय | 7,94,91,14,589 | | 6,24,16,42,252 | |
| वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (ग) | | **88,06,99,15,056** | | **6,29,43,10,145** |
| वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग) | | **1,98,40,96,589** | | **1,95,17,74,169** |
| नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष | | 2,67,54,58,501 | | 72,36,84,332 |
| नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष | | **4,65,95,55,090** | | **2,67,54,58,501** |

**टिप्पणियाँ:**

1. नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों में नकद राशियां एवं नकद समतुल्य शामिल है।
2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं।
3. 31 मार्च तक की नकद राशियां एवं नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है

| | मार्च 31, 2023 | मार्च 31, 2022 |
|---|---|---|
| नकद | 2,312 | 795 |
| बैंक में शेष | 4,65,95,52,778 | 2,67,54,57,706 |
| कुल | **4,65,95,55,090** | **2,67,54,58,501** |

4. आवश्यकता अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन किया गया है।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

**कृते माहेश्वरी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 105834डब्ल्यू**

**सीजीटीएमसी के न्यासी मंडल की ओर से**

हस्ता./–
**(पवन गटानी)**
साझेदार
सदस्यता सं. 144734

हस्ता./–
**(संदीप वर्मा)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

हस्ता./–
**(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)**
अध्यक्ष

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 26 सितम्बर, 2023

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2023 तक

राशि (₹)

| विवरण | | 31 मार्च, 2023 तक | 31 मार्च, 2022 तक |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची : 1** | | | |
| **समूह निधि** | | | |
| निम्नलिखित से प्राप्तः : | | | |
| भारत सरकार | | 1,50,00,00,33,000 | 70,00,00,33,000 |
| सिडबी | | 5,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 |
| (आरएसएफ 1 एवं 2 की समूह निधि क्रमशः 1. रु. 25,00,00,000 एवं 2. रु. 7,77,50,000 सहित) | | | |
| | (क) | **1,55,00,00,33,000** | **75,00,00,33,000** |
| व्यय की तुलना में आय का अधिशेष | | | |
| अग्रेषित शेष | | 12,98,87,77,283 | 12,39,93,75,787 |
| जोड़ें: वर्तमान वर्ष का अधिशेष | | 44,44,52,694 | 58,94,01,496 |
| | (ख) | **13,43,32,29,977** | **12,98,87,77,283** |
| | (क+ख) | **1,68,43,32,62,977** | **87,98,88,10,283** |
| **अनुसूची : 2** | | | |
| सामान्य आरक्षितियां | | | |
| अग्रेषित शेष | | 74,20,662 | 74,20,662 |
| जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित | | | |
| | | **74,20,662** | **74,20,662** |
| **अनुसूची : 3** | | | |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | | | |
| गारंटी दावों के लिए प्रावधान | | | |
| 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष | | 63,11,63,00,405 | 52,17,11,91,147 |
| घटाएंः वर्ष के दौरान भुगतान दावा | | 18,07,80,36,185 | 12,27,38,90,742 |
| जोड़ें: 31 मार्च को किया गया अतिरिक्त प्रावधान | | 32,19,90,00,000 | 23,21,90,00,000 |
| 31 मार्च को अंतिम शेष | (क) | **77,23,72,64,220** | **63,11,63,00,405** |
| चालू देयताएं | | | |
| आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 'पीएम स्वनिधि" के प्रति प्राप्त निधि | | 1,27,49,59,646 | 61,23,84,503 |
| आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 'पीएम स्वनिधि' के प्रति देय टीडीएस | | 33,65,004 | 21,81,907 |
| एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से 'सीजीएसएसडी' के प्रति प्राप्त निधि | | 1,71,82,37,943 | 1,63,47,68,866 |
| एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से 'सीजीएसएसडी' के प्रति देय टीडीएस | | 1,28,12,450 | 67,00,379 |
| तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 'टीएनसीजीएस' के लिए निधि | | 51,86,66,493 | 15,00,17,500 |
| तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 'टीएनसीजीएस' के प्रति देय टीडीएस | | 20,72,111 | - |
| निधियां – मेघालय राज्य सरकार | | 1,00,00,000 | - |
| निधियां – राजस्थान राज्य सरकार | | 2,00,07,508 | - |
| राजस्थान राज्य सरकार को देय टीडीएस | | 840 | - |
| डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से जीएफ एवं एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम | | 22,99,875 | 22,99,875 |
| देय वस्तु एवं सेवा कर | | 1,66,83,33,601 | 1,76,59,01,770 |
| देय टीडीएस | | 19,60,289 | 18,71,488 |
| देय व्यावसायिक कर | | 3,300 | 2,400 |
| व्यय के प्रति बकाया देयताएं | | 2,37,65,471 | 1,84,09,856 |
| वार्षिक गारंटी नवीकरण शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम | | 8,16,94,36,025 | 9,44,73,74,359 |
| वार्षिक गारंटी शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम | | 6,75,21,34,478 | 3,69,99,99,341 |
| लौटाए जाने वाली गारंटी शुल्क | | 1,80,77,069 | 1,78,09,638 |
| लौटाए जाने वाली वार्षिक सेवा/गारंटी शुल्क | | 1,77,67,738 | 3,82,77,479 |
| जीएफ विनियोजन खाता | | 8,09,921 | 8,09,914 |
| एएसएफ विनियोजन खाता | | 6,84,157 | 6,39,318 |
| संविदा के लिए ईएमडी | | 14,30,000 | 8,00,000 |
| | (ख) | **20,21,68,23,919** | **17,40,02,48,593** |
| | (क+ख) | **97,45,40,88,139** | **80,51,65,48,998** |

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2023 तक

राशि (₹)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक | 31 मार्च, 2022 तक |
|---|---|---|
| **अनुसूची : 4** | | |
| निवेश | | |
| 1) बैंकों के सावधि जमा में निवेश (उस पर उपार्जित ब्याज सहित) | | |
| i) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश | 22,88,359 | 22,87,842 |
| ii) एमएचओयू निधि (पीएम स्वनिधि), भारत सरकार का निवेश | 1,27,49,11,945 | 60,74,06,751 |
| iii) एमएसएमई निधि मंत्रालय (सीजीएसएसडी), भारत सरकार का निवेश | 1,71,82,37,943 | 1,63,47,68,866 |
| iv) तमिलनाडु राज्य सरकार निधि (टीएनसीजीएस) का निवेश | 51,86,66,493 | 15,00,17,500 |
| v) मेघालय राज्य सरकार निधि का निवेश | 1,00,00,000 | - |
| vi) राजस्थान राज्य सरकार निधि का निवेश | 2,00,07,508 | - |
| vii) समूह निधि और अन्य निधियों का निवेश | 2,51,02,92,96,859 | 1,58,65,70,91,412 |
| 2) म्युचुअल फंड में निवेश | 2,11,80,23,393 | 1,04,59,00,000 |
| (म्युचुअल फंड में निवेश का बाजार मूल्य : ₹ 214,60,18,042/- पिछले वर्ष ₹ 104,91,67,699) | | |
| | **2,56,69,14,32,500** | **1,62,09,74,72,371** |
| | | |
| **अनुसूची : 5** | | |
| बैंक में जमा शेष | | |
| निम्नलिखित के साथ खाताः | | |
| आईडीबीआई बैंक लि. | - | 25,71,004 |
| आईडीबीआई बैंक (बचत खाता) | 30,07,74,376 | - |
| आईडीबीआई बैंक लि. – डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार | 24,872 | 54,918 |
| आईडीबीआई बैंक लि. – डीसी (हथकरघा), भारत सरकार | 3 | 3 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1,31,16,673 | 47,45,88,084 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 3,66,892 | 3,36,046 |
| आईसीआईसीआई बैंक (बचत खाता) | 3,43,63,52,814 | 2,19,79,07,651 |
| एचडीएफसी बैंक (बचत खाता) | 90,89,17,148 | - |
| | **4,65,95,52,778** | **2,67,54,57,706** |
| | | |
| **अनुसूची : 6** | | |
| प्राप्तियां | | |
| पूर्व–प्रदत्त व्यय | 37,43,341 | 1,23,150 |
| प्राप्य शुल्क | - | 79,925 |
| इनपुट कर जमा | 39,07,527 | 20,65,039 |
| सेवा कर (ईसी/एसएचसीई) | 31,36,145 | 31,36,145 |
| वसूली योग्य सेवा कर | 15,24,96,232 | 15,24,66,187 |
| | **16,32,83,245** | **15,78,70,446** |
| | | |
| **अनुसूची : 7** | | |
| कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि | | |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/10 | 39,86,08,031 | 39,86,08,031 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/11 | 12,13,84,436 | 12,13,84,436 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/12 | 1,38,88,000 | 1,38,88,000 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/13 | 13,25,69,729 | 13,25,69,729 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/15 | 43,95,61,396 | 43,95,61,396 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/17 | 32,39,09,904 | 32,39,09,904 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/18 | 2,16,46,095 | 2,16,46,095 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/20 | 82,99,86,159 | 82,99,86,159 |
| वापसी योग्य आयकर 31/3/21 | 53,78,12,893 | 53,78,12,893 |
| भुगतान किया गया अग्रिम कर एवं स्त्रोत पर कर 31/3/22 | 69,77,50,847 | 69,77,50,847 |
| भुगतान किया गया अग्रिम कर एवं स्त्रोत पर कर 31/3/23 | 79,91,45,094 | |
| सेवा कर की मांग के प्रति पूर्व जमा | 6,10,99,451 | 6,10,99,451 |
| (क) | **4,37,73,62,035** | **3,57,82,16,941** |
| आयकर प्रावधान (ख) | - | - |
| कर प्राधिकरण से प्राप्त राशि (क–ख) | **4,37,73,62,035** | **3,57,82,16,941** |

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **अनुसूची : 8** | | |
| परिचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय | | |
| विज्ञापन, प्रचार एवं सेमिनार व्यय | 10,69,291 | 6,08,226 |
| अधिवक्ता शुल्क | 75,000 | - |
| लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक | 3,65,000 | 3,65,000 |
| आवागमन व्यय | 3,60,532 | 33,213 |
| कूरियर/डाक शुल्क | 31,204 | 6,773 |
| कॉन्फरेंस व्यय | 16,40,452 | - |
| आंतरिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक | 2,90,000 | 2,90,000 |
| सूचना औघोगिकी सेवा व्यय | 3,77,97,467 | 4,29,48,925 |
| कर्मचारी कल्याण एवं विविध व्यय | 19,89,542 | 5,89,633 |
| कार्यालय व्यय | 12,70,234 | 11,57,128 |
| कार्यालय का किराया | 1,36,89,918 | 1,00,21,881 |
| कार्मिकों पर लागत एवं व्यय | 5,32,42,359 | 4,58,98,611 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 8,01,533 | 4,73,244 |
| व्यावसायिक/सलाहकार शुल्क | 1,32,45,316 | 64,97,799 |
| दूरभाष व्यय | 17,077 | 39,559 |
| प्रशिक्षण व्यय | 1,34,279 | 82,980 |
| दौरे संबंधी व्यय | 16,28,597 | 73,298 |
| | **12,76,47,801** | **10,90,86,270** |

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

# आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **सूची : 1 कार्मिक व्यय** | | |
| कर्मचारियों (सिडबी) को वेतन एवं भत्ते | 2,41,03,780 | 1,86,25,876 |
| संविदा कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते | 2,79,53,125 | 2,61,95,570 |
| कूपन व्यय (सोडेक्सो) | 11,85,454 | 10,77,165 |
| | **5,32,42,359** | **4,58,98,611** |
| **सूची : 2 कर्मचारी कल्याण एवं विविध व्यय** | | |
| मरम्मत एवं रखरखाव | 67,702 | 55,804 |
| अचल आस्ति को बट्टे खाते में डालने/बिक्री पर हानि | 13,462 | 8,929 |
| स्टॉफ कल्याण व्यय | 11,43,717 | 2,84,623 |
| विविध व्यय | 7,64,661 | 1,49,505 |
| बीमा प्रभार | - | 90,772 |
| | **19,89,542** | **5,89,633** |
| **सूची : 3 मुद्रण एवं स्टेशनरी** | | |
| मुद्रण व्यय | 5,85,500 | 3,23,500 |
| स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर उपभोज्य | 2,16,033 | 1,49,744 |
| | **8,01,533** | **4,73,244** |
| **सूची : 4 विविध आय** | | |
| विविध प्राप्तियां | 16,635 | 58,531 |
| निविदा और खोज शुल्क | 37,786 | 48,765 |
| प्रबंधन शुल्क | 1,94,50,000 | 2,83,50,000 |
| | **1,95,04,421** | **2,84,57,296** |
| **सूची : 5 व्यय के प्रति बकाया देयताएं** | | |
| बाल्मेर लॉरी एवं कं. लि. | 4,14,575 | - |
| सीएमआरएएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी | 2,01,700 | - |
| ग्लोबलकॉम आईडीसी लिमिटेड | 3,82,557 | 3,82,557 |
| के.एस. सांगवी एंड कंपनी | 4,500 | 4,500 |
| माहेश्वरी एंड कंपनी | 3,28,500 | - |
| पाथ इन्फोटेक लिमिटेड | 34,68,314 | 65,11,955 |
| रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 3,51,000 | 4,21,200 |
| सिडबी | 78,52,786 | 52,51,219 |
| टी एंड एम सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड | - | 10,16,708 |
| डायनाकन्स सिस्टम और समाधान | 60,727 | 60,727 |
| जैन त्रिपाठी एंड कंपनी | 65,250 | - |
| कृतिकल टेक प्राइवेट लिमिटेड | 99,000 | - |
| टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड | 31,53,621 | 31,53,621 |
| टाटा टेली सर्विस लिमिटेड | 3,37,499 | - |
| छाजेड़ और दोषी | - | 65,250 |
| जेएनआर मैनेजमेंट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड | - | 24,030 |
| कीर्ति स्टेशनरी एवं प्रिंटर्स | 58,410 | 20,584 |
| क्योसेरा दस्तावेज़ | - | 25,704 |
| नेशनल इंस्टीट्यूट | - | 5,796 |
| पावर कार्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड | 5,880 | 3,480 |
| एसजीएन एंड कंपनी | 2,17,800 | 2,17,800 |
| प्रोफेशनल कूरियर्स | - | 6,166 |
| आई इन्फोटेक | 56,26,558 | 5,61,509 |
| पटेल और देवधर | - | 3,28,500 |
| पिपारा एंड कंपनी एलएलपी | 29,364 | - |
| मुकुंद और रोहित | 88,093 | - |
| सुमीत फैसिलिटीज लिमिटेड | 9,71,310 | - |
| साई कुजीन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 16,527 | - |
| क्रिएटिव मोंक | 31,500 | - |
| | **2,37,65,471** | **1,80,61,306** |

# तुलन–पत्र और आय एवं व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

## अनुसूची 9 : लेखा टिप्पणियां :

### 1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

#### क) लेखांकन व्यवहार

ऐतिहासिक लागत लेखांकन सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

#### ख) आय और व्यय की निर्धारण

ट्रस्ट लेखांकन के व्यापारिक आधार का पालन करता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ट्रस्ट की आय के प्रमुख स्रोतों का निर्धारण इस प्रकार है।

**गारंटी शुल्क**

गारंटी शुल्क से आय को तब मान्यता दी जाती है जब संबंधित सदस्य ऋणदाता संस्थानों से भुगतान बैंक खाते में आनुपातिक आधार पर प्राप्त/क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त गारंटी शुल्क को गारंटी कवर की अवधि को ध्यान में रखते हुए वर्ष की आय और अग्रिम प्राप्त आय के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

**सावधि जमा पर ब्याज आय**

सावधि जमा पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

**भुगतान किए गए दावों पर एमएलआई से वसूली**

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से की गई वसूलियों से प्राप्त आय की पहचान तब की जाती है जब राशि की वसूली हो जाती है।

**म्यूचुअल फंड से आय**

म्यूचुअल फंड की इकाइयों के रिफंड के समय पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए भारित औसत के आधार पर गणना की जाती है। मुआवजे पर लाभों को मान्यता दी जाती है।

#### ग) अचल संपत्ति

वित्तीय विवरणियों में अचल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागत शामिल हैं। अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।

#### घ) निवेश

ट्रस्ट के निवेशों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ सावधि जमा में निवेश और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं। म्यूचुअल फंडों में निवेश को वर्ष के दौरान औसत भारित लागत से घटाकर मूल्यह्रास या बाजार मूल्य, जो भी कम हो पर दर्ज किया जाता है। सावधि जमा में निवेश को व्यय मूल्य पर और उस पर संचित ब्याज के साथ दर्शाया गया है। डीसी (हथकरघा), डीसी (हस्तशिल्प), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, एमएसएमई, भारत सरकार और कुछ राज्य निधियों से प्राप्त सीजीएसएसडी योजना निधि से प्राप्त निधि से संबंधित बैंकों के साथ सावधि जमा में निवेश की पहचान की गई है और तुलन पत्र में इस प्रकार बताया गया है। अनुसूची 4 देखें।

#### ड) सेवानिवृत्ति लाभ

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए सिडबी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ सिडबी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे वार्षिक रूप से प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

### 2.

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक | 31 मार्च, 2022 तक |
|---|---|---|
| गारंटी अनुमोदन | 4,19,665 | 3,14,883 |
| बकाया गारंटी | 1,72,582 | 1,24,618 |
| बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की सग्रम देयता | 1,22,326 | 88,979 |
| सीजीटीएमएसई का प्रथम दावा किश्त के प्रति दायित्व | 91,745 | 66,734 |

ट्रस्ट द्वारा रोके गए दावों के प्रति किए गए प्रावधान के अलावा एमएसई के गैर निश्पादक होने की स्थिति में उसके प्रति दी गई गारंटी की आकस्मिकता के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी है, जिसकी प्रतिभूति स्वरूप ऐसी गारंटी दी जाती है/मंजूर की जाती है।

# अनुसूची

## तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

3. ट्रस्ट पहली बार में दावा राशि का 75% भुगतान करता है, वसूली की कार्यवाही के समापन के बाद शेष 25% राशि का भुगतान किया जाता है। कुल 1,107 मामलों (गत वर्ष में 1,764 मामलों) के लिए शेष 25% राशि का भुगतान किया गया। तथापि, अन्य मामलों में, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अभी तक वसूली कार्यवाही के निश्कर्श की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना बाकी है, जिससे वे शेष रकम प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं। इसके अलावा, परिपत्र संख्या–138/2017–18 के माध्यम से, ट्रस्ट ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा विप्रेशित शुल्क और वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान (यानी दावे की पहली और दूसरी किस्तों का निपटान) के लिए अंतिम सीमा शुरू की है। संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विप्रेशित वसूली सहित शुल्क के दोगुने राशि तक किया जाएगा।

4. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक रु. 3,65,000/– (गत वर्ष रु. 3,65,000/–) शुल्क में कर शामिल नहीं है।

राशि (₹)

| विवरण | वतर्मान वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षा शुल्क | 3,00,000 | 3,00,000 |
| कर लेखापरीक्षा शुल्क | 65,000 | 65,000 |
| कुल | **3,65,000** | **3,65,000** |

5. कराधान

**5.1** प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत धारा 10(23ईबी) में अधिसूचित किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट की आय को निर्धारण वर्ष 2002–03 से आरम्भ करके निर्धारण वर्ष 2006–07 तक पांच वर्शों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23ईबी) के तहत छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था। वित्त अधिनियम 2008 में 01.04.2008 अर्थात निर्धारण वर्ष 2009–2010 से धारा 2(15) में संशोधन किया था। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009–2010 के बाद से धारा 11 के तहत लाभ का दावा नहीं किया था। तथापि, ट्रस्ट ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के तहत 15ः की कटौती का दावा किया है।

आयकर निदेशक (छूट)–डीआईटी(ई), ने दिनांक 07.12.2011 के आदेश के माध्यम से माना था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों का स्वरूप व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय हैं और अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, निर्धारण वर्ष 2009–10 से ट्रस्ट को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया। ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ आयकर अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी और 28.05.2014 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय किया गया था और आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण को बहाल कर दिया गया था। आईटीएटी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग ने मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे दिनांक 02.08.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार आयकर अधिनियम 12ए/12एए के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण जारी है। आईटीएटी के आदेश दिनांक 28.05.2014 को प्रभावी करने वाला आदेश सीआईटी (छूट) के कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 09.03.2021 के माध्यम से पारित किया गया।

निर्धारण, माँगों और अपीलों की स्थिति का वर्शवार विवरण इस प्रकार हैः

| | अपीलकर्ता | के समक्ष लंबित | जोड़ने/अस्वीकृत करने की प्रकृति | विवादित राशि (रु. करोड़) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | धारा 11(1)(ए) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय 15 प्रतिशत कटौती की अनुमति नहीं है | 30.47 |
| 2010-11 | कर विभाग | उच्च न्यायालय | धारा 11(2) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय निर्धारण वर्ष 2007–08 में संचित राशि का योग | 94.38 |
| | | | धारा 11(2) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय निर्धारण वर्ष 2008–09 में संचित राशि का योग | 154.61 |
| | | | कर योग्य आय की गणना करते समय निपटान कर्ताओं से प्राप्त कोष में योगदान जोड़ा गया | 166.41 |

# अनुसूची

## तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

| | अपीलकर्ता | के समक्ष लंबित | जोड़ने / अस्वीकृत करने की प्रकृति | विवादित राशि (रु. करोड़) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | आईटीएटी आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश के अनुसार पारित आदेश में कर योग्य आय की गणना करते समय धारा 11(1)(ए) के तहत 15 प्रतिशत कटौती की अनुमति नहीं है। | 51.20 |
| | विभाग | उच्च न्यायालय | कर योग्य आय की गणना करते समय निपटानकर्ताओं से प्राप्त कोष में अंशदान जोड़ा गया | 250 |
| 2012-13 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय सेटलर्स से प्राप्त कोष में योगदान जोड़ा गया | 2.22 |
| 2013-14 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय ट्रस्ट के सेटलर्स से कॉर्पस के लिए प्राप्त योगदान को जोड़ा गया | 42.77 |
| 2014-15 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय ऑर्डर गिविंग इफेक्ट सीआईटी (ए) आदेश में पारित मूल्यांकन आदेश में लौटाई गई आय (घाटा) को शून्य माना जाता है। | 55.02 |
| 2015-16 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय ट्रस्ट के सेटलर्स से कॉर्पस के लिए प्राप्त योगदान को जोड़ा गया | 93.74 |
| | | | आय विवरणी में घोषित घाटा शून्य माना गया | 179.15 |
| 2015-16 | ट्रस्ट | एओ | टीडीएस का अल्प क्रेडिट – संशोधन दाखिल | 11.02 |
| 2016-17 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय ट्रस्ट के सेटलर्स से कॉर्पस के लिए प्राप्त योगदान को जोड़ा गया | 42.48 |
| | | | एओ ने धारा 11(1)(ए) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय 15 प्रतिशत की कटौती नहीं दी है। | 1.19 |
| 2017-18 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय सिडबी से कोष में प्राप्त योगदान को जोड़ा जाता है | 4.44 |
| | | | कर योग्य आय की गणना करते समय गारंटी दावों के प्रावधान की कटौती की अनुमति नहीं | 63.83 |
| | | | एलडी. एओ ने धारा 11(1)(ए) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय 15 प्रतिशत की कटौती भी नहीं दी। | 3.87 |
| 2018-19 | ट्रस्ट | आईटीएटी | कर योग्य आय की गणना करते समय गारंटी दावों के प्रावधान की कटौती की अनुमति नहीं | 347.04 |
| | | | एओ ने धारा 11(1)(ए) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय 15 प्रतिशत की कटौती नहीं दी है। | 9.92 |
| | | | धारा 11(2) के अंतर्गत संचित राशि का योग | 56.26 |
| 2019-20 | ट्रस्ट | सीआईटी (अपील) | कर योग्य आय की गणना करते समय गारंटी दावों के प्रावधान की कटौती की अनुमति नहीं | 791.02 |
| | | | एओ ने धारा 11(1)(ए) के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय 15 प्रतिशत की कटौती नहीं दी है। | 12.52 |

**5.2** अप्रत्यक्ष कराधान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय, चेन्नई ने दिनांक 14.10.2014 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि वित्त वर्ष 2009–10 से 30.06.2012 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क पर वित्त अधिनियम,

# अनुसूची

## तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

क. 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडक्यू) के साथ पठित धारा 65(104सी) के तहत ''व्यापार या वाणिज्य हेतु सहायता सेवा'' के रूप में विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार रु. 79,68,11,936/– के सेवा कर की मांग नहीं की जानी चाहिए और उनसे वित्त अधिनियम की धारा 75 के तहत ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए और वित्त अधिनियम की धारा 76, 77 और 78 के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उसी के प्रत्युत्तर में, ट्रस्ट ने 17.12.2014 को लिखित प्रस्तुति दी और 17.04.2015 और 06.12.2018 को जीएसटी और सीएक्स, भिवंडी के आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, जिन्होंने तदोपरांत लागू ब्याज और जुर्माने के साथ सेवा कर रु. 79,68,11,936/– की मांग की पुष्टि करते हुए दिनांक 28.05.2019 को मूल रूप में आदेश के तहत एससीएन का निर्णय सुनाया। ट्रस्ट ने रु. 5,97,60,896/– की पूर्व–जमा राशि का भुगतान करके दिनांक 29.10.2019 को उपरोक्त ओआईओ के विरुद्ध सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई के समक्ष अपील करने की तरजीह दी है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

ख. सेवा कर अधिनियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए ट्रस्ट के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा की गई। अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर, सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुंबई ने दिनांक 18.04.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ट्रस्ट से निम्न कार्यवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, के बारे में पूछताछ की है–

1. मैसर्स सिडबी के साथ स्टाफ संबंधी साझेदारी की गतिविधि को ''व्यवसाय सहायता सेवा'' के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और ब्याज और जुर्माना के साथ सेवा कर रु. 52,156/– की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए;

2. विकास आयुक्त से प्राप्त अग्रिमों के अप्रयुक्त भाग पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित सेवा कर ₹ 1,74,760/– की मांग एवं वसूली नहीं की जानी चाहिए।

ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23.08.2016 को इसका प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात, उप सेवा कर आयुक्त ने पत्र दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या खंड ख) के उप–खंड 1) और 2) के तहत यहां उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, वही प्रथा 2015 के बाद भी जारी रही। इसके प्रत्युत्तर ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18.04.2017 के पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया। एससीएन की व्यक्तिगत सुनवाई 04.03.2021 और 25.03.2022 को उपायुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (डिवीजन IV), मुंबई के समक्ष हुई थी। एससीएन का निपटारा करने के लिए अधिनिर्णय आदेश की प्रतीक्षा है।

ग. सीजीटीएमएसई को दिनांक 22.07.2016 को सेवा कर आयुक्त लेखापरीक्षा–II, मुंबई से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक 30.06.2012 से पूर्व जारी डीएएन पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए सेवा कर राशि ₹ 1,78,47,373/– एवं उस पर लागू ब्याज एवं जुर्माने की मांग की गई थी, किंतु ऐसे डीएएन के संबंध में शुल्क दिनांक 01.07.2012 के बाद प्राप्त हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23.08.2016 को लिखित निवेदन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 24.03.2021 को संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व आयुक्त एक्स प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें भाग लिया गया। विभाग ने आदेश दिनांक 31.01.2021 द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। विरोधात्मक आदेश में ट्रस्ट ने दिनांक 13.09.2021 को केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (अपील) के समक्ष पूर्व जमा राशि रु. 13,38,555/– इसके अलावा, ट्रस्ट ने 17.03.2022 और 16.03.2023 को लिखित सबमिशन जमा किया है। अपील के निस्तारण के अधिनिर्णय आदेश की प्रतीक्षा है।

घ. जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि हेतु रु. 1,07,71,826/– की राशि हेतु जम्मू और कश्मीर में स्थित एमएलआई को प्रदत्त सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी के दावे के संबंध में सहायक आयुक्त (रिफंड–II), सेवा कर, मुंबई के ओआईओ के विरुद्ध प्रथम अपील की तरजीह प्रस्तुत की गई, जिसका निपटान आयुक्त (अपील) सीजीएसटी द्वारा दिनांक 28.08.2018 की अपील में उनके आदेश के तहत न्यास के पक्ष में किया गया, जो धनवापसी के उनके दावे के समर्थन में न्यास द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात धनवापसी की अनुमति प्रदान करने के निर्देश के साथ मामले को मूल निर्णायक प्राधिकारी के पास वापस भेजने से संबंधित था। मूल प्राधिकारी से ट्रस्ट के धनवापसी दावे को संसाधित करने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

ङ. डीएएन के आधार पर अग्रिम रूप से भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में मार्च–जून, 2017 की अवधि के लिए रु. 7,54,06,280/– की वापसी का दावा करने के लिए दिनांक 02.04.2018 को रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए अंततः कोई गारंटी सेवाएं प्रदान नहीं की गईं और जिसे देय सेवा कर के विरुद्ध समायोजित भी नहीं

# अनुसूची

## तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

किया जा सकता था। इसे सहायक आयुक्त सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल–I, मुंबई द्वारा दिनांक 07.12.2018 को मूल आदेश के तहत निरस्त कर दिया गया। ट्रस्ट ने दिनांक 07.02.2019 को उपरोक्त ओआईओ के विरुद्ध माननीय सेवा कर आयुक्त (अपील)–II, मुंबई के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। इसके अलावा, दिनांक 20.08.2020 के मार्फत आयुक्त (अपील–I) जीएसटी और सीएक्स, मुंबई द्वारा विस्तृत सत्यापन के अधीन परिणामी राहत के साथ अपील की अनुमति दी गई। प्राधिकरण से ट्रस्ट की धनवापसी दावे को संसाधित करने हेतु दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

च. सेवा कर नियम, 1994 के नियम 5ए के तहत 2016–17 से जून–2017 तक की अवधि के लिए ट्रस्ट के रिकॉर्ड पर सेवा कर लेखापरीक्षा के संचालन के आधार पर उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल–IV, मुंबई पूर्व आयुक्तालय निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण मांग रहा है:

i. मैसर्स पाथ इंफोटेक को भुगतान करते समय काटे गए दंड शुल्क पर रु. 40,330/– रुपये का सेवा कर क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए, इसे वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 66ई के उप–खंड (ई) के तहत घोषित सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

ii. सेवाओं के छूट वाले टर्नओवर के संबंध में सामान्य सेनवेट क्रेडिट के कम रिवर्सल के लिए लागू ब्याज के साथ रु. 137182 की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इसके जवाब में लिखित सबमिशन 18.11.2021 को दायर किया गया है। इसके बाद, आज की तारीख तक पीएच के अधिनिर्णय के लिए तारीख तय करने या एससीएन को छोड़ने के लिए कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ है।

**6.** ट्रस्ट ने ऋणों में चूक के कारण अनुमानित परिव्यय की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तद्नुसार, अपनी रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा सुझाया गया अतिरिक्त प्रावधान यथा 31.03.2023 को रु. 3,219.90 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है।

राशि (₹)

| विवरण | वतर्मान वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल को प्रारंभिक राशि | 63,11,63,00,405 | 5,217,11,91,147 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया दावो | 18,07,80,36,185 | 1,227,38,90,742 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 32,19,90,00,000 | 2,321,90,00,000 |
| 31 मार्च को अंतिम शेष | 77,23,72,64,220 | 63,11,63,00,405 |

**7.** जहां कहीं आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

**कृते माहेश्वरी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 105834डब्ल्यू**

**सीजीटीएमसी के न्यासी मंडल की ओर से**

हस्ता./–
**(पवन गटानी)**
साझेदार
सदस्यता सं. 144734

हस्ता./–
**(संदीप वर्मा)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

हस्ता./–
**(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)**
अध्यक्ष

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 26 सितम्बर, 2023

**सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय**

पहली मंजिल, सिडबी स्वावलंबन भवन, एवेन्यू 3, लेन 2, जी–ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051
दूरभाषः +91-22-67221553; टोल फ्रीः 1800 222 659

www.cgtmse.in   @CGTMSEOfficial   @CGTMSEOfficial   CGTMSE Youtube Channel